[2020] 10 एससीआर 29

राकेश कुमार अग्रवाला और अन्य बनाम

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, बेंगलुरू एवं अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 1030 ऑफ 2020)

21 सितंबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे.जे.]

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 - छात्रों का प्रवेश, नामांकन का तरीका - अकादमिक परिषद की सिफारिश - वैधानिक आवश्यकता - कोविड-19 के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए क्लैट के संचालन में देरी - शुरू में इसे मई 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अंततः 28.09.2020 तक स्थगित कर दिया गया - हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1- - भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय बेंगलुरु (एन एल एस आई यू) ने एक अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए दिनांक 03.09.2020 को अधिसूचना जारी की, (ख) सरकार ने अपने पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि अभिरुचि परीक्षा (एनएलएटी) की स्थापना की है। कार्यक्रम 2020-21 - चुनौती दी गई - आयोजित: प्रतिवादी नंबर 1 को 03.09.2020 को प्रवेश अधिसूचना जारी करके एनएलएटी आयोजित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अकादमिक परिषद की सिफारिश प्राप्त करने के लिए क़ानून द्वारा आवश्यक था - इस तरह की सिफारिश के बिना जारी किया गया होना 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है - एनएलएसआईयू प्रवेश 2020-21 पर दिनांक 03.09.2020 के सूचना के साथ-साथ 04.09.2020 की प्रेस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाता है - प्रतिवादी नंबर 3 - राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ का संचालन करना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए 28.09.2020 को क्लैट -2020 परीक्षा - प्रतिवादी नंबर 1 बीएएलएलबी

(स्नातक) के प्रवेश को पूरा करने के लिए। क्लैट -2020 के परिणाम के आधार पर कार्यक्रम 2020-21 - भारत का संविधान - अनुच्छेद 14

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 - 13 और 10 के तहत कार्यकारी परिषद की शक्ति - के बीच अंतर - चर्चा की गई।

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 - धारा 13(1), (2) का दूसरा परंतुक - आयोजित: उप- धार के अनुसार। (2) के अनुसार, अकादमिक परिषद के पास निर्दिष्ट सभी मामलों पर विनियमों का प्रस्ताव करने की शक्ति ए) से (एच) में होगी (जैसा कि उप-धारा के दूसरे परंतुक में बताया गया है। (1) - इस प्रकार, विद्या परिषद विद्यार्थियों के नामांकन और दाखिले के तरीके के संबंध में भी विनियमों का प्रस्ताव कर सकती है। भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 - उप धारा 11, 18; अधिनियम की अनुसूची का खंड 14 - आयोजित: अनुसूची का खंड 14 विशेष रूप से अकादमिक परिषद को विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है - इस प्रकार, क़ानून अकादमिक परिषद के तत्वावधान में विद्यालय में प्रवेश पर विचार करता है - इसके अलावा, अनुसूची की धारा 11 आर/डब्ल्यू धारा 18 और खंड 14 स्पष्ट रूप से छात्रों के प्रवेश में अकादमिक परिषद की भूमिका के लिए प्रदान करता है।

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 - प्रवेश - अकादमिक परिषद की शक्ति बनाम कार्यकारी परिषद - पर चर्चा की गई।

कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 - राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया था - उप-नियमों ने प्रत्येक सदस्य संस्थान को क्लैट के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया - कोविड 19 के क्लैट 2020 के संचालन में देरी - प्रतिवादी नंबर 1, संघ के संस्थापक सदस्य ने अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की - प्रतिवादी नंबर 1 यदि उप-नियमों से बाध्य है - आयोजित: भले ही उप-नियमों के तहत संघ के सदस्यों पर दायित्व वैधानिक दायित्व नहीं हैं लेकिन सदस्यों पर बाध्यकारी हैं - संघ का सदस्य होने के नाते, प्रतिवादी नंबर 1 को एक अलग परीक्षा आयोजित करने के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था - भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986.

राकेश कुमार अग्रवाला और अन्य बनाम

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, बेंगलुरू [अशोक भूषण जे]

सिद्धांत/सिद्धांत - आवश्यकता का सिद्धांत - जब लागू नहीं हो - कोविड 19 के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए क्लैट के संचालन में देरी - अंततः सितंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया - हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने अलग से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह एक सरासर आवश्यकता बन गई है - आयोजित: शैक्षणिक वर्ष 2020-21 को शून्य-वर्ष के रूप में घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही पाठ्यक्रम अक्टूबर के मध्य में शुरू हो, 2020 - यूजीसी ने शैक्षणिक वर्ष में संशोधन के लिए विचार किया है, आवश्यकता का सिद्धांत प्रश्न नहीं उठता।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा:

आयोजित :1. प्रश्न संख्या 1

क्या याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार है?

रिट याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 1 ने दलील दी है कि वह क्लैट 2020 के एक उम्मीदवार के माता-पिता हैं, जो देश भर में ऐसे ही छात्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जो पीड़ित हैं। भले ही याचिकाकर्ता नंबर 1 के संबंध में, उसके वार्ड का विवरण नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता नंबर 1 क्लैट 2020 के छात्र का माता-पिता है, लेकिन याचिकाकर्ता नंबर 2 की साख को देखते हुए, रिट याचिका उसके उदाहरण पर पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। रिट याचिका के समर्थन में हलफनामा याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा शपथ ली गई है। याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा एक सामान्य प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी शपथ लिया गया है। राष्ट्र विधि विश्वविध्यालयों के संघ का संवैधानिक ज्ञापन, जो कर्नाटक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के तहत 26.03.2019 को पंजीकृत है, में संघ के प्रारंभिक सदस्यों की एक सूची है, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 2 का नाम सदस्य सब्सक्राइबर नंबर 1 के रूप में उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 1 के कुलपति होने के नाते सोसायटी के पदेन सचिव कोषाध्यक्ष बने, उनके विवरण का उल्लेख ज्ञापन के अनुच्छेद 7 में भी किया गया है। एक व्यक्ति, जिसने प्रतिवादी नंबर 1 के कुलपति के रूप में काम किया है और संघ का सदस्य भी था, जिसे सीएलएटी का संचालन करने के लिए सौंपा गया है, वह रिट याचिका के माध्यम से शिक्षा के कारण का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस प्रकार, प्रतिवादी की आपत्ति कि याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर

करने का कोई अधिकार नहीं है, खारिज कर दिया जाता है। रिट याचिका के साथ 2020 की एक विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11059 को सूचीबद्ध किया गया है, जिसे पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, जो क्लैट 2020-2021 के लिए उम्मीदवार थे। प्रवेश सूचना दिनांक 03.09.2020 को उनके द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय में 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 2454 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। किस निर्णय को चुनौती देते हुए, उन्होंने उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उपरोक्त पांच याचिकाकर्ताओं ने 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 1030 में 2020 का एक आवेदन आईए संख्या 91083 भी दायर किया है, इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए, वे 03.09.2020 के सूचना से प्रभावित और पीड़ित व्यक्ति हैं। वे छात्र, जो 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना से व्यथित हैं, वे भी इस न्यायालय के समक्ष हैं। इस प्रकार, उठाए गए मुद्दों को लोकस के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 की आपत्ति को खारिज करते हुए गुण-दोष के आधार पर तय किया जाना है। [अनुच्छेद 29, 32-35] [329-बी, एफ-एच; 330-सी-एच; 331-ए-बी]

2.1 प्रश्न संख्या 2

क्या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना अकादमिक परिषद द्वारा उस आशय की सिफारिशों के बाद ही जारी की जा सकती थी, जो अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरण है, पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) में छात्रों के प्रवेश के लिए 1986 कार्यक्रम 2020-2021?

भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 को बंगलोर (अब बेंगलुरु) में नेशनल लॉ विद्यालय ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना और निगमन के लिए लागू किया गया था। धारा 8 के अंतर्गत स्कूलों के प्राधिकारियों की गणना की गई है, जिसमें कार्यकारी परिषद के साथ-साथ विद्या परिषद भी शामिल है। धारा 10 कार्यकारी परिषद से संबंधित है। अधिनियम की धारा 11 विद्या परिषद से संबंधित है। कार्यकारी परिषद को अधिनियम की धारा 13 के तहत विद्यालय के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए विनियम बनाने का अधिकार है। धारा 18 विद्यालय के अधिकारियों और अधिकारियों से संबंधित है, उनकी संरचना, शक्तियां और कार्य, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं या जैसा कि विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। अनुसूची कार्यकारी परिषद

की सदस्यता, कार्यकारी परिषद की अवधि और कार्यकारी परिषद की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रदान करती है। अनुसूची के खंड 9 में कार्यकारी परिषद की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान है। खण्ड 13 विद्या परिषद की सदस्यता से संबंधित है और खण्ड 14 विद्या परिषद् की शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रावधान करता है। [अनुच्छेद 38-43] [331-छ-एच; 332-ख, ङ; 334-ख, घ-ई; 336-ग]

2.2 इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि कार्यकारी परिषद विद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय है और विद्यालय का प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण कार्यकारी परिषद में निहित है और प्रशासन में, छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार शामिल है लेकिन यह पता लगाने के लिए संविधि की और जांच की जानी चाहिए कि क्या छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना या विद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण है, जो छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति के साथ निहित है। धारा 13 के तहत कार्यकारी परिषद को विनियम बनाने की शक्ति और धारा 10 के तहत विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण की शक्ति दो अलग-अलग शक्तियां हैं और भले ही छात्रों के प्रवेश के संबंध में धारा 13 के तहत विनियम बनाए नहीं गए हों, कार्यकारी परिषद धारा 10 के तहत अपनी शक्ति का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकती है, विद्यालय के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण। हालांकि, धारा 13 में निहित प्रावधान वैधानिक योजना पर काफी प्रकाश डालते हैं। छात्रों के नामांकन और दाखिले की विधि सहित परिगणित विषयों पर विद्या परिषद की पूर्व सहमति का प्रावधान करने वाले दूसरे परंतुक का प्रावधान किया गया है क्योंकि संविधि की योजना के अंतर्गत विद्याथयों के नामांकन अथवा दाखिले के तरीके के संबंध में निर्णय लेने के लिए शैक्षिक परिषद को ही शक्ति प्रदान की गई है। कार्यकारी परिषद की शक्ति बनाने वाले विनियमों में उपरोक्त प्रतिबंध को उद्देश्य और उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। दूसरे परंतुक के अंतर्गत जिन विषयों का उल्लेख किया गया है जहां विद्या परिषद की पूर्व सहमति अपेक्षित है, वे सभी मामले हैं जो शैक्षिक परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस प्रकार, यद्यपि धारा 13(1) का कड़ाई से दूसरा परंतु तब लागू नहीं होता जब कार्यकारी परिषद द्वारा कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं लेकिन कार्यकारी परिषद की विनियमन बनाने की शक्ति के प्रयोग को कंडीशनिंग करने का उद्देश्य और उद्देश्य नहीं खोया जा सकता है। धारा 13 की उपधारा (3) में भी एक विशेष उपबंध है जिसमें यह उपबंध है कि जहां

कार्यकारी परिषद विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित विनियम के प्रारूप को अस्वीकार करती है वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति से अपील कर सकेगी और कुलाधिपति, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि प्रस्तावित विनियम का सामान्य परिषद् की अगली बैठक के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाए और सामान्य परिषद् का ऐसा अनुमोदन लंबित होने तक वह निम्नलिखित से प्रभावी होगा दिनांक जैसा कि उस क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार, अकादमिक परिषद के विनियम, जिन्हें कार्यकारी परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, को कुलाधिपति द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है और अनुमोदन के लिए सामान्य परिषद के समक्ष रखना आवश्यक है और अनुमोदन के बाद इसे संचालित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान इंगित करता है कि कुछ मामलों में अकादमिक परिषद की सिफारिशों को प्रमुखता दी गई है और धारा 13 की उप-धारा (2) के अनुसार, अकादमिक परिषद के पास धारा 13 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में उल्लिखित (ए) से (एच) में निर्दिष्ट सभी मामलों पर नियमों का प्रस्ताव करने की शक्ति होगी। इस प्रकार, विद्या परिषद विद्याथयों के नामांकन और दाखिले के तरीके के संबंध में भी विनियम प्रस्तावित कर सकती है। [अनुच्छेद 46, 50] [338-ई-एफ; 341-एफ-एच; 342- ए-एफ]

2.3अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विद्यालय के प्राधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कार्य अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। इस अधिनियम की अनुसूची के खंड 14 में प्रावधान है कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त खंड 14(7), 14(11) और 14(16) में यथा वणत शक्तियां प्राप्त होंगी। अनुसूची में उक्त प्रावधान विशेष रूप से विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करने के लिए अकादमिक परिषद को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार, विद्यालय में प्रवेश को अकादमिक परिषद के नियंत्रण में माना गया था और समितियों की नियुक्ति विद्यालय के प्रवेश की निगरानी और संचालन के उद्देश्य से की गई थी। जब 1986 में अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो प्रवेश के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं थी और क़ानून ने कार्यकारी परिषद को विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया था। विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति के संबंध में खंड 14 (16) के आधार पर, अकादमिक परिषद को "ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना था और ऐसे

सभी कार्य करना था जो अधिनियम के प्रावधानों को उचित रूप से लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं"। इस प्रकार, उपरोक्त वैधानिक प्रावधान ने प्रवेश के संबंध में अकादमिक परिषद को सभी आकस्मिक शक्तियां दीं। [अनुच्छेद 51, 52] [342-जीएच; 343-सीई]

2.4 खंड 9 के तहत कार्यकारी परिषद को दी गई शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (i) उप-खंड (1), (2), (3) और (9) नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है; (ii) वित्त और संपत्तियों से संबंधित उपखंड (4), (5), (6), (7) और (8) और (iii) अन्य में खंड (10), (11) और (12) शामिल हैं। खंड (11) कार्यकारी परिषद को विद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करने का अधिकार देता है और उप-खंड (12) एक सामान्य शक्ति है जो कार्यकारी परिषद को ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रदान करता है जो लगाए जा सकते हैं। खंड 14 के उपखंड (11) में दी गई अकादमिक परिषद की शक्ति का उल्लेख करते हुए, जो अकादमिक परिषद को परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने और उन्हें आयोजित करने की तारीखें तय करने की शक्ति प्रदान करती है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त शक्ति विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने से संबंधित है। इस प्रकार, अनुसूची के खंड 9 के उप-खंड (10) का अर्थ यह भी पढ़ा जाना चाहिए कि परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में है। यह ध्यान देने योग्य है कि परीक्षकों और मध्यस्थों को नियुक्त करने की शक्ति भी इस शर्त के साथ है, अर्थात, "अकादमिक परिषद से परामर्श करने के बाद" अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विद्यालय के प्राधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कार्य अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। इस अधिनियम की अनुसूची के खंड 14 में प्रावधान है कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अधिनियम की धारा 11 का भी उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि विद्या परिषद विद्यालय का अकादमिक निकाय होगा और उसके पास विद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए नियंत्रण और सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह उत्तरदायी होगी। धारा 11 में "नियंत्रण की शक्ति", "सामान्य विनियमन" और "जिम्मेदार हो" नामक

<u>तीन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया था।</u> धारा 11 में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ "विद्यालय के निर्देशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों का रखरखाव" हैं। अब यह तय कानून है कि शिक्षा के मानकों में पाठ्यक्रम में प्रवेश शामिल है। जब विद्या परिषद् को नियंत्रण, सामान्य विनियम प्रदान किए गए हैं और वह विद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, तो निस्संदेह इसका एक कार्य छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना है। अनुसूची की धारा 18 और खंड 14 के साथ धारा 11 को पढ़ने से छात्रों के दाखिले में विद्यापीठ की भूमिका का स्पष्ट प्रावधान है। [अनुच्छेद 53, 55, 56] [343-एफजी; 3

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, **(1999) 7 एससीसी 120: [1999] 1 पूरक. एससीआर 249 - पालन किया**

2.5 इस स्तर पर, कार्यकारी परिषद की दिनांक 29.08.1987 और 30.08.1987 की बैठक भी भेजी जा सकती है। कार्यवाही को प्रतिवादी नंबर 1 के जवाबी हलफनामे के साथ अभिलेख पर लाया गया है। बैठक के आइटम नंबर 16 ने छात्रों के चयन से संबंधित किया। कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव से पता चलता है कि यह प्रवेश परीक्षा के संबंध में अकादमिक परिषद का मसौदा प्रस्ताव था, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव में अगला निम्नलिखित वाक्य प्रासंगिक है "प्रवेश परीक्षा और चयन की प्रक्रिया अकादमिक परिषद द्वारा तय की जा सकती है और निदेशक द्वारा लागू की जा सकती है"। प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं अकादमिक परिषद की 12.12.1987 की बैठक की कार्यवाही को अनुलग्नक आर-1/2 के रूप में अभिलेख पर लाया है, जहां एलएलबी कार्यक्रम के लिए छात्रों के चयन का तरीका प्रदान किया गया था। इस प्रकार, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद की उपरोक्त कार्यवाही स्वयं यह स्पष्ट करती है कि कार्यकारी परिषद की राय थी कि यह अकादमिक परिषद है जो एलएलबी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के तरीके के बारे में वैधानिक प्राधिकरण है। कार्यकारी परिषद दिनांक 29.08.1987 और अकादमिक परिषद की दिनांक 12.12.1987 की उपरोक्त कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस निवेदन का पूरी तरह समर्थन करती है कि यह अकादमिक परिषद है जिसे एलएलबी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के संबंध में संकल्प लेने के लिए क़ानून के तहत सशक्त किया

गया है। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी संविधि में उन्हें सौंपी गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं। [अनुच्छेद 57-59] [345-सी; 346-बीएफ]

***मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बलवंत राव चव्हाण* (1989) 3 एससीसी 132: [1989] 2 एससीआर 454 - पर भरोसा।**

2.6 हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यकारी परिषद ने प्रशासन की सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने दिनांक 12.08.2020/18.08.2020 के संकल्प में प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में कोई भी संकल्प लिया हो सकता था, लेकिन कार्यकारी परिषद के 12.08.2020/18.08.2020 के निर्णय को लागू करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के तरीके के बारे में अकादमिक परिषद की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक था। एनएलएटी नामक एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए अकादमिक परिषद की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक था, खासकर जब प्रतिवादी नंबर 1 सीएलएटी द्वारा छात्रों को प्रवेश देने के बजाय उपरोक्त परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहा था, जिसमें से एलएलबी पाठ्यक्रम में सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा, प्रवेश पिछले एक दशक से अधिक समय से किया जा रहा था। जब प्रतिवादी नंबर 1 45 मिनट के ऑनलाइन गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित करना चाहता था जिसमें 40 प्रश्न थे जो नीति और तरीके पहले के नुस्खे से अलग थे, तो अकादमिक परिषद की सिफारिशें अनिवार्य थीं। 18.08.2020 को कार्यकारी परिषद ने सर्वसम्मति से कुलपति और विश्वविद्यालय को क्लैट 2020 में और देरी होने की स्थिति में एक स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 12.08.2020 को लिए गए अपने संकल्प की पुष्टि की। प्रस्ताव कुलपति को सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दे रहा था। सभी आवश्यक कदमों को उन कदमों के रूप में समझा जाना चाहिए जिन्हें संविधि के अनुसार उठाया जाना अपेक्षित है। जब अधिनियम, 1986 ने विद्या परिषद को एलएलबी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के तरीके के संबंध में अधिकार प्रदान किया था तो कुलपति के लिए यह अनिवार्य था कि वह विद्या परिषद की सिफारिशें प्राप्त कर ले। कुलपति स्वयं विद्या परिषद के अध्यक्ष हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं थी और विद्या परिषद की बैठकों के संबंध में खण्ड 15 उपखंड (6) में यह प्रावधान है कि यदि विद्या परिषद द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है तो

शैक्षिक परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्या परिषद के सदस्यों को पत्रों के परिचालन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 1 को 03.09.2020 को प्रवेश अधिसूचना जारी करके एनएलएटी आयोजित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अकादमिक परिषद की सिफारिश प्राप्त करने के लिए क़ानून द्वारा आवश्यक था। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी दिनांक 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना अकादमिक परिषद द्वारा इस आशय की सिफारिश प्राप्त किए बिना जारी नहीं की जा सकती थी। अकादमिक परिषद की सिफारिश के बिना दिनांक 03.09.2020 को जारी की गई प्रवेश अधिसूचना अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और अस्थिर है। [अनुच्छेद 60-62] [347-सी-ई, एच; 348-ए-ई]

3.1 <u>प्रश्न संख्या 3</u>

क्या प्रतिवादी नंबर 1 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों संघ, एक पंजीकृत सोसाइटी का संस्थापक सदस्य होने के नाते, अपने उपनियमों से बंधा हुआ है और छात्रों को एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) मे प्रवेश देने के लिए बाध्य था । क्लैट 2020 के माध्यम से कार्यक्रम?

एनएलयू द्वारा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम आधार पर आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए 23-11-2007 को सात मौजूदा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवम्बर, 2014 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का एक संघ गठित करने का निर्णय लिया गया था। संघ को 26.03.2019 को कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 में सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। संघ ने अपनी विभिन्न बैठकों में सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) के संचालन को कारगर बनाने और एनएलयू के बीच समन्वय और सहयोग के लिए निर्णय लिया। लक्ष्यों और उद्देश्यों ने आगे खुलासा किया कि संघ का उद्देश्य एक या एक से अधिक एनएलयू की कानूनी शिक्षा का लाभ बाकी एनएलयू को देना है। खण्ड 3 समाज के अभिशासन से संबंधित है। खंड 33 में प्रावधान है कि समाज उसमें उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा। खंड 3.3.5 में प्रावधान है कि सोसायटी देश भर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के लिए यूजी, पीजी, डॉक्टरल, पोस्ट-डॉक्टोरल पाठ्यक्रमों के लिए

सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। खंड 3.3.6 में प्रावधान है कि सोसाइटी भारत में सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों के लिए सीएलएटी के माध्यम से प्रवेश के लिए एक मंच प्रदान करेगी यदि ऐसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोसाइटी के सदस्य बन जाते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ के उप-नियम भी बनाए गए थे। इन उपनियमों के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संचालन निकाय की सालाना बैठक में किया जाता है। उप-नियमों में प्रावधान है कि संस्था का प्रत्येक सदस्य सीएलएटी के माध्यम से मूल्यांकित योग्यता के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करता है। उप-नियम खंड 12.1 के अनुसार, कुलपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बंगलौर के पदेन सचिव सोसायटी के कोषाध्यक्ष होंगे। उप-नियम 15 "सदस्यता" से संबंधित है जबकि उप-कानून 15.3 में "सदस्यता की आवश्यकता" शीर्षक शामिल है। संस्थापन प्रलेख और उपनियमों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रशंसनीय वस्तुएं जिनके लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एक साथ आए थे, एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होने वाले संघ द्वारा मजबूत किए गए थे। आज की तारीख में, 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं जो संघ का हिस्सा हैं। प्रतिवादी नंबर 1 पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था जो कर्नाटक विधानमंडल के अधिनियम, 1986 द्वारा अस्तित्व में आया था। अन्य राज्यों ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का निर्माण करते हुए मुकदमा का पालन किया। देश के विभिन्न भागों में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों ने विधिक शिक्षा के लिए अत्यधिक योगदान दिया है। [अनुच्छेद 63-67] [348-जीएच; 349-ए-ई; 350-बी-डी]

3.2 यद्यपि उप-नियमों के अंतर्गत संघ के सदस्यों पर दायित्व सांविधिक दायित्व नहीं हैं, परंतु वे दायित्व सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण दर्जे पर आसीन सभी सदस्यों को उन हजारों छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से आचरण करना होगा जो इन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा, व्यक्तित्व और आजीविका निर्माताओं के संस्थानों के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन संविधियों के तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, वे निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए इन राष्ट्रीय स्तरीय इकाइयों पर सार्वजनिक कर्तव्य डालते हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों को समाज और छात्रों द्वारा

सम्मान और महान विश्वास के साथ देखा जाता है। सभी एनएलयू को खुद को इस तरह से संचालित करना होगा जो शिक्षा के कारण को पूरा करता है और उन पर जताए गए विश्वास को बनाए रखता है। उप-नियम 15.3.1 स्वयं इस बात पर विचार करता है कि सदस्यता का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य संस्था अपने सदस्य संस्थान की स्वायत्तता के लिए उचित सम्मान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित मूल मूल्यों और मानकों को प्रतिबिंबित करे। सदस्य संस्थाओं की स्वायत्तता किसी भी प्रकार से सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) आयोजित करने के आड़े नहीं आती है। प्रत्येक संस्था संविधि शासन के अनुसार अपनी स्वायत्तता बनाए रखती है, संघ के मूल मूल्य को बनाए रखने की बाध्यता किसी भी तरह से सदस्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करती है। संघ के मूल मूल्यों प्रतिष्ठा और कानूनी शिक्षा की सामग्री को बढ़ाने के लिए करना है. विधिक शिक्षा की समाज के विकास और समाज के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी विधि विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा आयोजित करना राष्ट्रीय हित के साथ-साथ शिक्षा के हित में भी है। इस न्यायालय ने बार-बार समान या समान शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के समूह के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के महत्व और उपयोगिता पर जोर दिया है। [अनुच्छेद 70, 73, 75 और 76] [351-ए-सी; 352-बी, सी, एफ, जी; 353-ए-बी] धिक योगदान दिया है। [अनुच्छेद 63-67] [348-जीएच; 349-ए-ई; 350-बी-डी]

> ***पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य*** **(2005) 6 एससीसी 537: [2005] 2 पूरक एससीआर 603 - का पालन किया।** ***हैदराबाद कर्नाटक शिक्षा सोसाइटी बनाम सोसाइटीज के कुलसचिव और अन्य*** **(2000) 1 एससीसी 566: [1999] 5 पूरक एससीआर 161 - प्रतिष्ठित।** ***क्रिश्चियन चिकित्सा विद्यालय वेल्लोर समिति बनाम भारत संघ और अन्य*** **(2020) 8 एससीसी 705 - पर भरोसा।**

3.3 यह सच है कि प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय त्रैमासिक की एक अनूठी प्रणाली का पालन करता है, प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति तीन महीने की अवधि में 70 शिक्षण दिन होते हैं। अकादमिक परिषद के संकल्प के अनुसार पहली तिमाही 01.07.2020 को शुरू होनी थी और 30 सितंबर, 2020 तक समाप्त होनी थी। पहला सेमेस्टर शुरू करने के लिए प्रतिवादी

नंबर 1 के लिए तीन महीने की यह अवधि उपलब्ध नहीं है। पूरा देश मार्च 2020 से महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। शैक्षणिक वर्ष में घाटा देश के सभी विश्वविद्यालयों को हो रहा है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर कोविड 19 द्वारा बाधित हो गया। किसी भी विश्वविद्यालय ने इस वर्ष को शून्य वर्ष घोषित नहीं किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी के परिणामों से अवगत होने के कारण शैक्षणिक कैलेंडर में परीक्षा पर दिशानिर्देश जारी किए। यूजीसी के दिशानिर्देशों द्वारा प्रदान किए गए दिशा-निर्देशों को दिनांक 06.07.2020 के बाद के दिशानिर्देशों द्वारा जारी रखा गया है, यूजीसी को उम्मीद है कि विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 के लिए अपने शैक्षणिक कैलेंडर में कुछ संशोधन करेंगे। विश्वविद्यालय महामारी को देखते हुए अपने अकादमिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 एक सामान्य शैक्षणिक वर्ष नहीं है जिसमें विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षण और अन्य गतिविधियों को सामान्य मोड और तरीके से जारी रखें। प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय पूर्व स्नातक विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के तरीकों और साधनों का बहुत अच्छी तरह से पता लगा सकता था, भले ही यह 28.09.2020 को क्लैट के संचालन के बाद अक्टूबर 2020 के मध्य में शुरू हो। न्यायालय को इस सबमिशन को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं किया गया है कि "आवश्यकता का सिद्धांत" चल रही महामारी की तथ्य स्थिति में लागू था। यूजीसी ने अपने दिशानिर्देशों दिनांक 29.04.2020 में पहले ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपने शैक्षणिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए कहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संपूर्ण देश में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने वाला निकाय है और शैक्षिक वर्ष में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करने के बाद आवश्यकता का सिद्धांत प्रश्न नहीं उठता। संघ प्रतिवादी नंबर 1 के सदस्य होने के नाते "एनएलएटी" नामक एक अलग परीक्षा आयोजित करने के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और न ही शैक्षणिक वर्ष 2020-21 को "शून्य-वर्ष" घोषित करने की आवश्यकता थी, भले ही पाठ्यक्रम अक्टूबर, 2020 के मध्य में शुरू हो। [अनुच्छेद 81-83, 86] [355-एसी, एफजी; 356-सीडी

4. <u>प्रश्न संख्या 4</u>

क्या 03.09.2020 की अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा, पारदर्शिता की कमी है, निष्पक्ष परीक्षा की अवधारणा के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है?

प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने जवाबी हलफनामे के साथ अभिलेख पर लाई गई 06.08.2020 की संकाय बैठक की कार्यवाही में, यह उल्लेख किया गया है कि "एनएसएलआईयू क्लैट आवेदकों के 60 प्रतिशत से अधिक के लिए पहली प्राथमिकता है"। क्लैट-2020 के लिए लगभग 69,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। 69,000 का 60 प्रतिशत 41,400 पर आता है। एनएलएटी में पंजीकरण केवल 24,603 है, जिनमें से केवल 23,225 ही उपस्थित हो सके, यह स्पष्ट करता है कि बड़ी संख्या में छात्र जो प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते थे, वे समय की कमी और प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय द्वारा जोर दी गई तकनीकी आवश्यकता के कारण आवेदन भी नहीं कर सके। आंकड़े याचिकाकर्ता की दलीलों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से समाज के हाशिए वाले वर्गों से संबंधित था, परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। एनएलएटी-2020-21 के लिए प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित गृह आधारित ऑनलाइन परीक्षा को एक परीक्षा के रूप में आयोजित नहीं किया जा सका जो परीक्षा की पारदर्शिता और अखंडता को बनाए रखने में सक्षम था। विश्वविद्यालय द्वारा जोर दिए गए अल्प सूचना और तकनीकी आवश्यकताओं ने बड़ी संख्या में छात्रों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए परीक्षा में भाग लेने से वंचित कर दिया। [अनुच्छेद 94, 95] [359-सीएफ]

5. <u>प्रश्न संख्या 5</u>

क्या एनएलएटी 12.09.2020 को आयोजित किया गया था और 14.09.2020 को पुन: परीक्षण किया गया था, कदाचार से प्रभावित था और इसे अलग रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले के लिए, इस अदालत के लिए याचिकाकर्ताओं और रिपोर्टों द्वारा संदर्भित विभिन्न सामग्रियों में प्रवेश करना और यह तय करना आवश्यक नहीं है कि परीक्षा में वास्तव में कदाचार अपनाया गया था या नहीं। न्यायालय को 12.09.2020 और 14.09.2020 को आयोजित परीक्षण में कदाचार के पहलू के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत

इस कार्यवाही में कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है जो अनिवार्य रूप से तथ्यों और सबूतों की जांच का विषय है। [अनुच्छेद 102, 103] [360-एच; 361-एसी]

6. रिट याचिका को निम्नलिखित तरीके से अनुमति दी जाती है: -

(I) पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) कार्यक्रम 2020-21 दिनांक 03.09.2020 अनुलग्नक-पी 14 में प्रवेश के लिए सूचना के साथ-साथ एनएलएसआईयू प्रवेश 2020-21 दिनांक 04.09.2020 अनुलग्नक-पी 15 पर प्रेस विज्ञप्ति रद्द की जाती है।

(II) प्रतिवादी नंबर 3 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम ओ एच एफ डब्लू) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) की मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करने के बाद छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सभी सावधानी और देखभाल करते हुए 28.09.2020 को क्लैट2020 परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

(III) प्रतिवादी नंबर 3 यह भी सुनिश्चित करेगा कि परिणाम की घोषणा की पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि प्रतिवादी नंबर 1 और अन्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अक्टूबर-2020 के मध्य तक अपना पाठ्यक्रम शुरू कर सकें।

(IV) प्रतिवादी नंबर 1 को क्लैट-2020 के परिणाम के आधार पर बीएएलएलबी (स्नातक) कार्यक्रम 2020-21 का प्रवेश भी पूरा करना होगा।

(V) प्रतिवादी नंबर 3 संघ के सचिव कोषाध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 की स्थिति को बहाल करने के साथ-साथ एनएलएसआईयू के रूप में संघ के सचिवालय को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द निर्णय ले सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि 28.09.2020 को क्लैट -2020 की निर्धारित परीक्षा किसी भी तरह से बाधित नहीं है। 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1030 में पारित उपरोक्त आदेश के मद्देनजर, 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 11059 में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। [अनुच्छेद 108 और 109] [362-बी-एफ]

वरुण भगत बनाम भारत संघ **रिट याचिका (सी) संख्या 68 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 25.07.2008 के निर्णय;** *टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्णाटक राज्य और अन्य* **(2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक . एससीआर 587;** *पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग* **(2010) 4 एससीसी 603:**

[2010] 3 एससीआर 609; *वी.टी. खानजोडे एवं अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य* **(1982) 2 एससीसी 7: [1982] 3 एससीआर 411 - संदर्भित।**

केस लॉ रेफरेंस

[2002] 3 पूरक एससीआर 587	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 45**
[2010] 3 एससीआर 609	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 48**
[1982] 3 एससीआर 411	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 49**
[1999] 1 पूरक एससीआर 249	**ने पालन किया**	**अनुच्छेद 55**
[1989] का 2 एससीआर 454	**पर भरोसा किया**	**अनुच्छेद 59**
[1999] 5 पूरक । एससीआर 161	**प्रतिष्ठित**	**अनुच्छेद 71**
(2020) 8 एससीसी 705	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 74**
[2005] 2 पूरक एससीआर 603	**को संदर्भित ने**	**अनुच्छेद 76**

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र का पालन किया: 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1030 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

एसएलपी (सी) संख्या 11059/2020

निधेश गुप्ता, गोपाल शंकरनारायणन, निखिल नैय्यर, अरविंद पी. दातार, साजन पूवैया, पीएस नरसिम्हा, सीनियर एडवोकेट, पीबी सुरेश, विपिन नायर, कार्तिक जयशंकर, सुघोष सुब्रमण्यम, अग्निश आदित्य, सुश्री जपनीत कौर, माधव गुप्ता, सुश्री पल्लवी सिंह, श्रुतनजय भारद्वाज, सुश्री वृति गुजराल, विशाल सिन्हा, सुश्री गायत्री वर्मा, कुश चतुर्वेदी, आदित्य शेखर, सुश्री प्रियांश्री शर्मा पीएच, दिव्यांशु राय, बैभव गहलौत, शुभम गौतम, आदित्य नारायण, रोहित शर्मा, रौनक नायक, अतुल अग्रवाल, लेखा चंद्रशेखर, राहुल उन्नीकृष्णन, पतिभानु सिंह खरोला, सुश्री रक्षा अग्रवाल, कुमार दुष्यंत सिंह, के. परमेश्वर, एमवी मुकुंद, सुश्री अदिति त्रिपाठी, कुश चतुर्वेदी, संदीप देशमुख, निशांत शर्मा, रजत गौड़, सुजॉय गौड़ और राकेश के. शर्मा, अधिवक्ता उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए।

राकेश कुमार अग्रवाला और अन्य बनाम
भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, बेंगलुरू [अशोक भूषण जे]

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित में दायर यह रिट याचिका भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय, बेंगलुरु द्वारा अलग प्रवेश प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय विधि अभिक्षमता परीक्षा (एनएलएटी) आयोजित करने के लिए जारी 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना पर सवाल उठाती है। याचिकाकर्ता ने भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय (इसके बाद "एनएलएसआईयू" के रूप में संदर्भित) को केवल सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा 2020 (क्लैट) परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की है, जो 28.09.2020 को होने वाली है। रिट याचिका दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है। पहला याचिकाकर्ता एक छात्र का पिता है जो राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय के पांच साल के एलएलबी कार्यक्रम में प्रवेश पाने का इच्छुक है और याचिकाकर्ता नंबर 2 नैटियो का पूर्व कुलपति है न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय अशोक भूषण, जे.

2. हम रिट याचिका में **उठाए गए मुद्दों** पर विचार करने के लिए कुछ पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं। एनएलएसआईयू देश का एक प्रमुख विधि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय विधिज्ञ परिषद् और कर्नाटक विधिज्ञ परिषद् की संयुक्त पहल के तहत की गई थी। (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने कर्णाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय सोसाइटी नामक एक सोसायटी की स्थापना की है। एक संविधि द्वारा विद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से किए गए अनुरोध पर, राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेंगलुरु की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 (इसके बाद 'अधिनियम, 1986' के रूप में संदर्भित) द्वारा की है। हम अधिनियम, 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों पर थोड़ी देर बाद ध्यान देंगे। एनएलएसआईयू को पांच साल के स्नातक विधि अवधि के साथ कानूनी शिक्षा का एक प्रमुख विद्यालय होना था. एनएलएसआईयू के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय विधिक अध्ययन और अनुसंधान अकादमी (एनएएलएसएआर) की स्थापना 1998 में हैदराबाद में की गई थी और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता (एनयूजेएस) की स्थापना 1999 में कोलकाता में की गई थी और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल (एनएलआईयू) की स्थापना मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा 1997 के अधिनियम संख्या 41 द्वारा की गई थी। समय के

साथ-साथ राज्यों ने कानूनी शिक्षा के लिए संस्थानों को बनाने के लिए समान विधियों को अधिनियमित किया, जिन्हें देश भर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाने लगा। सभी राष्ट्रीय विधि और शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालयों ने दाखिले के लिए मानदंड तथा पाठ्यचर्या संरचना निर्धारित की है। प्रारंभिक वर्षों में सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहे थे। 2006 की रिट याचिका (सी) संख्या 68 **वरुण भगत बनाम भारत संघ** संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें सचिव, कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ को इसके सचिव, भारतीय विधिज्ञ परिषद, एनएलएसआईयू के माध्यम से शामिल किया गया था। बंगलौर और पांच अन्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। रिट याचिकाकर्ता ने छात्रों के हितों की सुविधा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तंत्र को निर्धारित करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने की प्रार्थना की। इस न्यायालय ने रिट याचिका में सूचना जारी किया। भारत के विद्वान अतिरिक्त माह याचक ने इस न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से एक योजना/नीति की जांच करने और विकसित करने के लिए कदम उठाएगा जिसके अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा सकती है। भारत सरकार ने निदेशकों/कुलपतियों और अन्य शैक्षिक पदाधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें आयोजित कीं। वर्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 68 में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से वर्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 68 में प्रति-शपथ-पत्र दायर किया गया था जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उठाए गए विस्तृत कदमों का उल्लेख किया गया था जिसमें सितम्बर, 2006 से दिसम्बर के बीच वर्ष 2006 में विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ हुई विभिन्न बैठकों के ब्यौरे भी शामिल थे। प्रति-शपथपत्र के अनुच्छेद 10 में निम्नलिखित कहा गया था:

> "10....यह उम्मीद की जाती है कि फरवरी, 2007 के दौरान सभी आवश्यक सूचनात्मक नोट प्राप्त किए जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर कदम उठाए

जाएंगे कि शैक्षणिक सत्र 2008-2009 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को यथासंभव शीघ्रता से लागू किया जाए।

3. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों ने दिनांक 27.11.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों ने सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) नामक एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक विश्वविद्यालय सबसे पुराने विश्वविद्यालय से शुरू होने वाली परीक्षा आयोजित करेगा। जब 2006 की रिट याचिका संख्या 68 25.07.2008 को सुनवाई के लिए आई, तो इस न्यायालय ने देखा कि प्रार्थना रिट याचिका में मांगी गई 10 एससीआर पहले ही पूरी हो चुकी है, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, इसलिए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

4. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वर्ष 2008 से सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) आयोजित किया जाना शुरू हुआ, जो कानून में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्र समुदाय के लिए एक बड़ी राहत थी। क्लैट का आयोजन पूरे देश में विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की संख्या एक-एक करके बढ़ती रही और वर्तमान में देश में 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं।

5. रिट याचिका 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 600 होने के नाते एक **शमनाद बशीर** द्वारा दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि वार्षिक आधार पर क्लैट आयोजित करने वाले एक स्वतंत्र पेशेवर निकाय का गठन किया जाए। इस न्यायालय ने पूर्वोक्त रिट याचिका में विभिन्न आदेश पारित किए। 28.11.2018 को इस न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"हस्तक्षेप के लिए आवेदन वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया है

भारत संघ, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आत्माराम एनएस नाडकर्णी ने कहा कि सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की है और आगे इन याचिकाओं के सभी पक्षों, एनटीए और भारतीय विधिज्ञ

परिषद की बैठक बुलाएगा; उनके विचार प्राप्त करें और चार सप्ताह के भीतर परीक्षा आयोजित करने के लिए उचित सिफारिशें करें। इसके बाद सूची बनाएं।

6. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा 10.12.2018 को एक बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में भाग लेने वाले बार भारतीय विधिज्ञ परिषद ने कहा कि बीसीआई को एक वैधानिक निकाय के रूप में परीक्षा आयोजित करने के लिए एनएलएसआईयू के एक संघ के गठन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक प्रमुख हितधारक के रूप में, वे परीक्षा आयोजित करने और निगरानी करने के लिए निगरानी निकाय का हिस्सा होंगे। बैठक में जो प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आया और नोट किया गया वह यह था कि "आगे का रास्ता परीक्षा के संचालन में हितधारक होने के नाते एनएलएसआईयू के एक संघ के माध्यम से परीक्षा के संचालन के लिए एक बेहतर, मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह संस्थागत संरचना होगी और जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, (बीसीआई और एनएलआईए) को पारदर्शी और मजबूत तरीके से परीक्षा देने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ को 26.03.2019 को कर्नाटक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया था। एनएलएसआईयू के कुलपति संघ के पदेन सचिव-कोषाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ के समझौता ज्ञापन ने वरुण भगत बनाम भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किए गए विचार-विमर्श पर ध्यान दिया। ज्ञापन के खंड 3 में संघ के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ थे:

> "(i) भारतीय विधि शिक्षा को विधि शिक्षा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के समकक्ष बनाने के लिए विधिक शिक्षा के उच्चतम मानक उपलब्ध कराना।
>
> (iii) देश में विधिक शिक्षा के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय संघ और अन्य विधिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था करना। इसके अलावा, संघ अपने सदस्य संस्थानों की स्वायत्तता को मान्यता देता है और इसलिए इसके निर्णयों को ऐसे संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा अपनाने की आवश्यकता होगी।

(v) सीएलएटी में कानून के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के संचालन को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए, सभी भाग लेने वाले एनएलयू के लिए और उनकी ओर से, और देश में विभिन्न एनएलयू में छात्रों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना।

(xi) एक या अधिक एनएलयू की कानूनी शिक्षा के लाभ शेष एनएलयू को उपलब्ध कराना।

(xix) वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रवेश, पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली, समान ग्रेडिंग प्रणाली और इसी तरह की समान नीतियों को विकसित करना।

7. सोसायटी के शासी निकाय के लिए खंड 5 प्रदान किया गया है। सोसाइटी के पहले शासी निकाय का गठन 16 शिक्षाविदों/कुलपतियों के साथ किया गया था जिसमें पहला नाम याचिकाकर्ता नंबर 2 का था, प्रो आर वेंकट राव एनएलएसआईयू के कुलपति थे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ के उप-नियम भी बनाए गए थे। संस्था के सदस्य को खंड 1.1.13 में निम्नलिखित प्रभाव से परिभाषित किया गया है:

"1.1.13. सदस्य संस्था" का अर्थ है एनएलयू द्वारा औपचारिक रूप से कानून और सदस्यता शुल्क का भुगतान करने और सोसायटी द्वारा बनाए गए सदस्य संस्थानों की मास्टर सूची पर हस्ताक्षर करने के बाद।

8. खंड XV सदस्यता से संबंधित है। उप-नियमों में प्रावधान है कि संस्था का प्रत्येक सदस्य सीएलएटी के माध्यम से मूल्यांकित योग्यता के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15.3.3 निम्नानुसार है

“समुचित बौद्धिक कठोरता बनाए रखने के लिए कोई सदस्य संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सदस्य संस्था में प्रत्येक शैक्षिक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला किसी छात्र को प्रवेश देने से पूर्व सोसायटी द्वारा प्रचालित पारदर्शी और युक्तियुक्त मूल्यांकन नामत सीएलएटी के माध्यम से मूल्यांकित योग्यता के आधार पर होगा। परन्तु इस उपबंध की कोई बात किसी सदस्य संस्था को स्त्रियों, निशक्त व्यक्तियों या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए और

विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

9. संघ ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में प्रवेश के लिए क्लैट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में संघ ने प्रवेश के लिए अनुसूची अधिसूचित की जिसमें क्लैट 2020 परीक्षा के लिए 10.05.2020 निर्धारित किया गया था। कोविड-19 वायरस के कारण महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा 23.03.2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के कारण, क्लैट को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से स्थगित करने की आवश्यकता थी। 10.05.2020 के लिए निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। संघ की कार्यकारी समिति ने 29.06.2020 को शारीरिक परीक्षण से हटकर सेंटर-आधारित ऑनलाइन परीक्षा में शिफ्ट करने का संकल्प लिया।

10. परीक्षा के संचालन के लिए दिनांक 22.08.2020 निर्धारित किया गया था। हालांकि, कोविड-19 मामलों में बड़ी उछाल/वृद्धि और 30.08.2020 तक लॉकडाउन के कारण परीक्षा जो 22.08.2020 को आयोजित होने वाली थी, उसे 07.09.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। संघ की कार्यकारी समिति को प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती, कुलपति, एनजेयूएस, कोलकाता से एक संचार प्राप्त हुआ कि पश्चिम बंगाल ने 07.09.2020 को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। संघ ने 28.08.2020 को बैठक की और परीक्षा को 28.09.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया।

11. अब, हम एनएलएसआईयू के अंत में हुई घटनाओं पर ध्यान दे सकते हैं। एनएलएसआईयू द्वारा पेश किए गए पांच साल के स्नातक पाठ्यक्रम में पांच शैक्षणिक वर्ष होते हैं, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को तीन सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक शब्द को ट्राइमेस्टर कहा जाता है जिसमें न्यूनतम 70 कार्य दिवस होते हैं। शैक्षणिक अवधि आमतौर पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक शुरू होती है, दूसरी नवंबर से फरवरी तक शुरू होती है और तीसरी मार्च से शुरू होती है और जून में समाप्त होती है। क्लैट को 22.08.2020 से 07.09.2020 तक स्थगित करने के बाद, शून्य वर्ष को रोकने के लिए आकस्मिक योजना पर विचार करने के लिए एनएलएसआईयू की संकाय बैठक 06.08.2020 को आयोजित की गई थी।

12. संकाय बैठक में विभिन्न संभावित समाधानों पर चर्चा की गई। यह भी नोट किया गया कि अंतिम विकल्प के रूप में एक अलग प्रवेश प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए। एनएलएसआईयू की कार्यकारी परिषद की बैठक 12.08.2020 को आयोजित की गई थी। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि यदि क्लैट परीक्षा में और देरी होती है तो कुलपति को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है कि 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया सितंबर, 2020 तक पूरी हो। 18.08.2020 को कार्यकारी परिषद की स्थगित बैठक में, कार्यकारी परिषद ने क्लैट में और देरी होने की स्थिति में कुलपति और विश्वविद्यालय को स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार देने के संकल्प की पुष्टि की। एक अन्य संकाय बैठक 31.08.2020 को आयोजित की गई थी जहां यह नोट किया गया था कि क्लैट 2020 को 07.09.2020 से 28.09.2020 तक स्थगित कर दिया गया था। 03.09.2020 को एनएलएसआईयू, बेंगलुरु ने पांच साल के बीएएलएलबी (स्नातक) कार्यक्रम 2020-21 में प्रवेश के लिए सूचना जारी किया, जिसमें 12.09.2020 को एनएलएटी परीक्षा 2020 आयोजित करने का प्रस्ताव था, उम्मीदवारों को अपने संबंधित स्थानों पर कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करके परीक्षा का प्रयास करना था। अनुच्छेद 4.4.2. सूचना में कहा गया है:

> "4.4.2 जिन उम्मीदवारों ने एक वैध आवेदन पत्र जमा किया है, उन्हें एनएलएटी के लिए उपस्थित होना होगा। यह परीक्षा 12 सितंबर, 2020 को आयोजित होने वाली एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। उम्मीदवार अपने संबंधित स्थानों पर कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करके इस परीक्षा का प्रयास करेंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वीडियो और ऑडियो इनपुट सहित प्रदान किए जाने वाले विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करके उचित तिथि और समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं. एनएलएसआईयू परीक्षा के दौरान किसी भी संयोजकता मुद्दों या इंटरनेट कनेक्शन की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एनएलएसआईयू कदाचार या परीक्षा कदाचार के आधार पर किसी भी उम्मीदवार की परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. उपरोक्त संबंध में एनएलएसआईयू की प्रवेश 2020-21 के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति 04.09.2020 को जारी की गई थी। एनएलएसआईयू, कुलपति, प्रतिवादी नंबर 2 ने

अलग रिपोर्ट्स [2020] 10 एससीआर प्रवेश परीक्षा, अर्थात्, एनएलएसआईयू द्वारा एनएलएटी। यह रिट याचिका इस न्यायालय में 08.09.2020 को दायर की गई थी, जिसमें निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की गई थी:

> "i) प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी वर्तमान रिट याचिका के अनुलग्नक पी-14 पर 03.09.2020 को जारी आक्षेपित अदिनांकित प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;
>
> ii) एनएलएटी 2020 के लिए तकनीकी/प्रणाली आवश्यकताओं के लिए आक्षेपित अधिसूचना को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना; i
>
> ii) केवल सीएलएटी के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देशित करने के लिए परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश का एक रिट जारी करना;

14. इस न्यायालय ने 11.09.2020 को सूचना जारी करके निर्देश दिया कि अधिसूचना दिनांक 04.09.2020 के अनुसरण में प्रवेश के लिए परीक्षा हो सकती है, लेकिन न तो परिणाम घोषित किया जाएगा और न ही इसके परिणामस्वरूप कोई प्रवेश किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा रिट याचिका के लिए जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता की ओर से एक सामान्य प्रत्युत्तर-हलफनामा दायर किया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा एक सरेजोइंडर-हलफनामा भी दायर किया गया है।

15. हम 2020 के एसएलपी (सी) संख्या 11059 में बहुत संक्षेप में तथ्यों को भी देख सकते हैं। 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 2454 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 11.09.2020 के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय में पांच छात्रों द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें एनएलएसआईयू द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें इसके 5 साल के एलएलबी (स्नातक) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग परीक्षा घोषित करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि याचिकाकर्ताओं ने क्लैट संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली क्लैट परीक्षा

2020 के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने एनएलएसआईयू द्वारा जारी 03.09.2020 के सूचना को चुनौती दी और सूचना को रद्द करने की प्रार्थना की। रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के दिनांक 11.09.2020 के फैसले को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की गई है। एसएलपी याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए 2020 की रिट याचिका संख्या 1030 में आईए संख्या 91083/2020 भी दायर की है। आवेदकों ने अपने आवेदन में दलील दी है कि उन्होंने क्लैट 2020 के माध्यम से स्नातक परीक्षा के लिए आवेदन किया था और क्लैट परीक्षा के लिए कुछ वर्षों के लिए नियमित रूप से तैयारी की थी। एनएलएसआईयू द्वारा दिनांक 03.09.2020 का सूचना आवेदकों के लिए आश्चर्य के रूप में आया, उक्त सूचना से व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की.

16. हमने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निदेश गुप्ता और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण को सुना है। श्री अरविंद दातार, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री साजन पूवैया, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील और प्रतिवादी नंबर 3 के लिए श्री पीएस नरसिम्हा। श्री निखिल नैयर, विद्वान वरिष्ठ वकील, एसएलपी के साथ-साथ 2020 के आईए नंबर 91083 में याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हुए हैं।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अलग प्रवेश परीक्षा 'एनएलएटी' को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 को अधिनियम, 1986 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी दिनांक 03.09.2020 का प्रवेश सूचना विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक दिनांक 12.08.2020 और 18.08.2020 के साथ-साथ संकाय बैठक दिनांक 06.08.2020 पर निर्भर करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम, 1986 के तहत यह एनएलएसआईयू की अकादमिक परिषद है जिसे छात्रों के प्रवेश के संबंध में अधिनियम, 1986 के तहत सशक्त किया गया है कार्यकारी परिषद के पास कोई शक्ति नहीं है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि धारा 13 कार्यकारी परिषद को विद्यालय के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए विनियम तैयार करने का अधिकार देती है। दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि विद्या परिषद की पूर्व सहमति के बिना कार्यकारी परिषद छात्रों के नामांकन

या दाखिले के तरीके को प्रभावित करने वाला कोई विनियम नहीं बनाएगी। वह प्रस्तुत करता है कि 03.09.2020 को सूचना जारी करने से पहले प्रतिवादी नंबर 1 ने अकादमिक परिषद की कोई बैठक आयोजित नहीं की है और न ही 03.09.2020 को अधिसूचित प्रवेश के तरीके के संबंध में अकादमिक परिषद की कोई संकल्प या सहमति है। श्री गुप्ता अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, विशेष रूप से अधिनियम की अनुसूची जिसमें कार्यकारी परिषद की शक्तियों और कार्यों के साथ-साथ अकादमिक परिषद की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि अधिनियम, 1986 में उल्लिखित अकादमिक परिषद की शक्तियों और कर्तव्यों में विशेष रूप से विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों को नियुक्त करने की शक्ति शामिल है, जबकि अकादमिक परिषद के कर्तव्यों और कार्यों में, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इंगित करती है कि यह कार्यकारी परिषद है जो छात्रों के प्रवेश के तरीके और तरीके के बारे में निर्णय लेगी। वह प्रस्तुत करता है कि 03.09.2020 की अधिसूचना अकादमिक परिषद की किसी भी सिफारिश द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी नहीं की जा सकती थी। प्रवेश सूचना अधिनियम, 1986 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं होने के कारण अकेले इस आधार पर रद्द किया जा सकता है। दिनांक 29.08.1987 से 30.08.1987 कार्यकारी परिषद की बैठकों के कार्यवृत्त का उल्लेख करते हुए जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने जवाबी हलफनामे में भरोसा किया था, श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह अकादमिक परिषद थी जिसने 12.12.1987 को बैठक की और प्रवेश के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 के प्रति-हलफनामे में अभिलेख पर लाया गया है। इस प्रकार, विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया के संबंध में विद्या परिषद् को निर्णय लेना है। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि एनएलएसआईयू संघ का सदस्य होने के नाते सीएलएटी परीक्षा 2020 के आधार पर एनएलएसआईयू में छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य था। प्रतिवादी नंबर 1 सहित सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने का निर्णय एक निर्णय था जो वरुण भगत बनाम भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश पर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय विधिक परिषद द्वारा किए गए विचार-विमर्श के बाद आया था। संघ के उप-नियमों का उल्लेख करते हुए, श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 संघ के नियमों का पालन करने के लिए सहमत होने के बाद उप-कानूनों का पालन

करने के लिए बाध्य था। प्रतिवादी नंबर 1 अभी भी संघ के सदस्य के रूप में जारी है, जिसके पास वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश के लिए एक अलग परीक्षा एनएलएटी आयोजित करने के लिए आगे बढ़ने का कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं था। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रवेश के लिए अलग परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ने का कारण दिया गया है कि यह शून्य वर्ष से बचने के लिए किया गया था, यह भी सही नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि तीनों तिमाही में शिक्षण को पूरा करने के तरीके और साधन थे जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा देखे जा रहे हैं। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि क्लैट परीक्षा 2020 28 सितंबर, 2020 के लिए निर्धारित की जा रही है, सितंबर 2020 में ही, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए अलग प्रवेश के लिए जल्दबाजी करने का कोई अवसर नहीं था। श्री गुप्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि क्लैट 2020 में, 78,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जबकि एनएलएटी में केवल 26,000 पंजीकरण हुए हैं। वह प्रस्तुत करता है कि यह अकल्पनीय है कि प्रतिवादी नंबर 1 से इच्छुक छात्रों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित नहीं होंगे। श्री गुप्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 12.09.2020 को आयोजित परीक्षण, यानी गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित नहीं कर सकता है। श्री गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2020 की रिट याचिका संख्या 4848 में प्रतिवादी नंबर 2 दिनांक 25.08.2020 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख किया, जहां रिट याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी कि क्लैट को गृह आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित किया जाए। संघ की ओर से अपने सचिव, प्रतिवादी नंबर 2 के माध्यम से जवाबी हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लगभग 78,000 छात्रों के लिए एक घर आधारित ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं हो सकती है, परीक्षा पूरी तरह से समझौता किया जाएगा। वह प्रस्तुत करता है कि हलफनामे में उस स्टैंड को लेने के बाद भी, प्रतिवादी नंबर 2 ने एनएलएटी 2020 को गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित करने के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 12.09.2020 को आयोजित परीक्षा, जो 40 अंकों के साथ 45 मिनट की थी, पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी के साथ आयोजित की गई परीक्षा थी। 12.09.2020 को परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं, कदाचार देखे गए। प्रतिवादी नंबर 2 ने 14.09.2020 को एक पुन: परीक्षा आयोजित की है। प्रतिवादी नंबर 1 ने खुद स्वीकार किया है कि कदाचार हुए हैं और

आपराधिक जांच के लिए शिकायतें दर्ज की गई थीं श्री गुप्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 ने संघ के ध्यान में कभी नहीं लाया कि वह अलग से परीक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहा है, कार्यकारी परिषद की बैठकों में निर्णय दिनांक 12.08.2020 और 18.08.2020 को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा संघ के साथ कभी साझा नहीं किए गए थे। अचानक, प्रतिवादी नंबर 1 ने 03.09.2020 को सूचना जारी किया, जिसने संघ को आश्चर्यचकित कर दिया है। श्री गुप्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आयोजित अलग परीक्षा छात्रों के हित में नहीं है, 78,000 छात्रों ने क्लैट 2020 के लिए पंजीकरण किया है और 2/3 से अधिक छात्र प्रतिवादी 1 के लिए वरीयता देते हैं। गृह आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा की अल्प सूचना ने समाज के बड़ी संख्या में सीमांत वर्ग को विशेष रूप से उन लोगों से वंचित कर दिया जो तकनीकी सहायता की कमी के कारण अपने घर से परीक्षा में शामिल होने का साधन नहीं उठा सकते थे। तकनीकी आवश्यकता, जिसे प्रवेश सूचना द्वारा निर्धारित किया गया था, एक गरीब छात्र द्वारा पूरा करना आसान नहीं था, जिसने बड़ी संख्या में सीमांत छात्रों को भाग लेने से वंचित कर दिया। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि क्लैट परीक्षा 28.09.2020 को निर्धारित है और क्लैट परीक्षा के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से अपना प्रवेश पूरा कर सकता है और अक्टूबर के मध्य तक अपना कोर्स शुरू कर सकता है और ऐसी कोई दुर्गम कठिनाई नहीं थी जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 ने दावा किया था कि जल्दबाजी में अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रवेश सूचना को अलग रखा जा सकता है और प्रतिवादी नंबर 1 में प्रवेश भी क्लैट परीक्षा 2020 के आधार पर लिया जा सकता है, जो 28.09.2020 को आयोजित होने वाली है.

18. याचिकाकर्ता नंबर 1 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायण ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा क्लैट 2020 से एकतरफा वापसी संभव नहीं थी। छात्र क्लैट 2020 की तैयारी एक विशेष तरीके से कर रहे थे, अचानक उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बताया जाता है कि अब उन्हें एनएलएटी में उपस्थित होना होगा जो अलग प्रारूप में है। क्लैट की कार्यकारी परिषद की दिनांक 28.08.2020 की बैठक में, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कोई संकेत नहीं दिया गया था कि यदि क्लैट स्थगित हो जाता है तो वह प्रतिवादी नंबर 1 में प्रवेश के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। दिनांक

03.09.2020 की अधिसूचना अचानक सभी को चौंका देती है। 12.09.2020 को प्रतिवादी नंबर 1 ने तीन परीक्षाएं और एक पुन: परीक्षा 14.09.2020 को आयोजित की है शून्य वर्ष का बहाना एक दलदल है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा शून्य वर्ष घोषित नहीं किया जा सकता है।

19. श्री अरविंद दातार, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की दलील का खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास इस रिट याचिका को दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, याचिकाकर्ता नंबर 1 के वार्ड के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है जो क्लैट 2020 के इच्छुक होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता नंबर 2, जो प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्व कुलपति हैं और वर्तमान में प्राइवेट विधि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, के पास 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि अधिक से अधिक यह संघ हो सकता था जिसे व्यथित कहा जा सकता है जो न्यायालय में नहीं आया है। क्लैट 2020 के आयोजन में अत्यधिक देरी के कारण प्रतिवादी नंबर 1 के पास शैक्षणिक वर्ष 2020 को शून्य वर्ष घोषित होने से बचाने के लिए एक अलग परीक्षा आयोजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि एनएलएसआईयू न्यूनतम 70 कार्य दिवसों के साथ तीन शैक्षणिक शर्तों में विभाजित त्रैमासिक प्रणाली को बनाए रखता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब तक पहली तिमाही 18.09.2020 से शुरू नहीं होती है, प्रतिवादी नंबर 1 अपने तीनों तिमाही को पूरा नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने क्लैट 2020 को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के लिए संघ को मनाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनएलएसआईयू के संकाय ने 06.08.2020 को अपनी बैठक में संकल्प लिया कि एनएलएसआईयू को शून्य वर्ष से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। कार्यकारी परिषद ने 12.08.2020 और 18.08.2020 को अपनी बैठकों में सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि यदि क्लैट में और देरी होती है, तो कुलपति को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है कि 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया सितंबर, 2020 में पूरी हो जाए। एनएलएसआईयू के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसे प्रवेश प्रक्रिया पूरी

करने और 18.09.2020 तक कक्षाएं शुरू करने और 'शून्य वर्ष' से बचने के लिए तत्परता से कार्य करना पड़ा.

20. श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि धारा 10 के तहत, कार्यकारी परिषद विद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय है, जिसे विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और प्रबंधन के अधिकार में छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार शामिल है, इसलिए, कार्यकारी परिषद को छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने दिनांक 29.08.1987/30.08.1987 की पहली कार्यकारी परिषद की बैठक का उल्लेख किया है जिसमें कार्यकारी परिषद द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में प्रवेश का तरीका तय किया गया था। एनएलएसआईयू में प्रवेश की विधि का निर्धारण संविधि के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में निहित है। अधिनियम, 1986 की धारा 13 के दूसरे परंतुक का उल्लेख करते हुए श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि प्रवेश के संबंध में अभी तक कोई विनियमन नहीं बनाया गया है, दूसरा परंतुक कोई लागू नहीं है। वर्तमान में एनएलएसआईयू में प्रवेश के संबंध में कोई विनियम नहीं हैं, इसलिए एनएलएसआईयू में प्रवेश के लिए अकादमिक परिषद की पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। इसके अतिरिक्त, कुलपति को संघ के उप-नियमों के अनुपालन के संबंध में अधिनियम, 1986 की अनुसूची के खंड 18(5) के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। श्री दातार ने कहा कि उप-नियम अधिनियम, 1986 द्वारा कार्यकारी परिषद को प्रदत्त पूर्ण वैधानिक शक्ति को कम या बाधित नहीं कर सकते हैं। सूचना 03.09.2020 द्वारा शुरू की गई प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क केवल 150/- रुपये (सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) और 125/- रुपये (एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए) तक सीमित है ताकि यह सभी छात्रों के लिए आसानी से सुलभ हो। परीक्षा ऑनलाइन गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा है इसलिए छात्र अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के लिए बाहर नहीं जाते हैं। कदाचार को रोकने की दृष्टि से, एनएलएटी ने कदाचार को रोकने के लिए मानव और ए.आई प्रतिनिधि के रूप में व्यापक सावधानी बरती है, साथ ही पूर्व-परीक्षा, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद की जांच भी की है। व्यापक तकनीकी और अन्य उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है कि किसी भी प्रकार के कदाचार का प्रयास करने वाला कोई भी उम्मीदवार पकड़ा जाता है और प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाता है, या तो परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद

अंकेक्षण और जांच के दौरान। . जबकि परीक्षा चल रही है, मानव निरीक्षक और शानदार-निरीक्षक ने भी उम्मीदवारों पर लाइव डेटा प्राप्त किया और उम्मीदवारों को चेतावनी देने और यहां तक कि उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, अगर वे किसी भी प्रकार के कदाचार को देखते हैं। एनएलएसआईयू ने एक स्वतंत्र फोरेंसिक अंकेक्षण और परीक्षा से संबंधित विभिन्न आंकड़ों का मूल्यांकन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रमुख अंकेक्षण परतिष्ठान नियुक्त की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार के कदाचार से निपटने के लिए प्रश्न पत्रों के विभिन्न बैच दिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की गई विभिन्न रिपोर्टें विश्वसनीय नहीं हैं और यह आरोप साबित करने का आधार नहीं हो सकती हैं कि 12.09.2020 और 14.09.2020 को आयोजित परीक्षा में कोई कदाचार अपनाया गया था। जहां तक इस आरोप का सवाल है कि पेपर 14.09.2020 को लीक हो गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप परीक्षा के अंतिम 15 मिनट में पेपर डाउनलोड करने का है, जिसने किसी भी तरह से परीक्षा की अखंडता को प्रभावित नहीं किया है। श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में दिनांक 12.09.2020 की परीक्षा के संचालन के संबंध में नहीं देखा और निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है, सभी छात्रों को केवल 150/- रुपये के शुल्क पर एनएलएटी में खुद को परीक्षा के लिए पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। श्री दातार ने बहुत ही निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 1 अभी भी संघ का सदस्य है और आयोजित की गई अलग परीक्षा केवल वर्ष 2020-21 के लिए है और अगले वर्ष से एनएलएसआईयू संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली क्लैट परीक्षा के आधार पर प्रवेश आयोजित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 28.08.2020 को क्लैट परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं था और प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा विरोध जताया गया था और उन्होंने कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी नंबर 1 के ट्राइमेस्टर होने की कठिनाई को संघ की कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा इंगित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 का आचरण वास्तविक था और सभी कार्रवाई प्रतिवादी नंबर 1 के हित में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई थी।

21. श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि क्लैट 2020 के संघ द्वारा 07.09.2020 से आगे परीक्षा स्थगित करने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ट्राइमेस्टर को सफलतापूर्वक आयोजित करने का उद्देश्य विफल हो गया था।

22. श्री साजन पूवैया, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 2 12.08.2020 और 18.08.2020 को कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए संकल्प से बाध्य था। संकाय बैठक दिनांक 06.08.2020 में सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यह संघ की एक सामान्य सभा थी जो क्लैट परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय ले सकती थी। परीक्षा को 07.09.2020 से 28.09.2020 तक स्थगित करने का निर्णय संघ की कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया था जिसके पास कोई अधिकार नहीं था। कार्यकारी समिति को निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। 05.08.2020 तक प्रतिवादी नंबर 2 ने अलग से परीक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। 31.08.2020 को पूरे संकाय ने फिर से बैठक की और घर-आधारित कंप्यूटर परीक्षण के लिए निर्णय लिया।

23. श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी नंबर 3, संघ के लिए उपस्थित होने वाले संघ के गठन के लिए अग्रणी घटनाक्रम का उल्लेख किया है, उन्होंने **वरुण भगत बनाम भारत संघ** और **शमनाद बशीर बनाम भारत संघ** (सुप्रा) में रिट याचिका में इस न्यायालय के आदेशों का भी उल्लेख किया है।वह प्रस्तुत करता है कि न्यायिक हस्तक्षेप और सभी हितधारकों से काफी समय और प्रयास के कारण, विभिन्न विश्वविद्यालय संघ बनाने के लिए एक साथ आए हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के प्रवेश के लाभ के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा आयोजित करना है। संघ और सोसायटी के सभी सदस्यों को एक निजी सोसायटी या क्लब की स्थिति में नहीं लाया जाना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि यद्यपि संघ में शामिल होने वाले विश्वविद्यालयों ने स्वेच्छा से ऐसा किया है, लेकिन तथ्य यह है कि वैधानिक रूप से स्थापित विश्वविद्यालय वैधानिक कर्तव्यों को वहन करते हैं, जो एक वैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघ बनाने के लिए एक साथ आए हैं। कंसोशयम के गठन के साथ, संबंधित विश्वविद्यालयों की दाखिला प्रक्रिया को विनियमित करने के सांविधिक दायित्व संयुक्त रूप से स्पष्ट हो गए हैं और संघ में निहित हो गए हैं। वास्तव में, संघ आज एक प्रशंसनीय सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने में एक

वैधानिक कार्य करता है। कंसोशयम के उप-नियमों को राज्य विधानों के तहत संबंधित विश्वविद्यालयों के सांविधिक निर्देशों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना है। संघ की संस्थागत अखंडता जो लंबी प्रक्रिया के बाद हासिल की गई है, को संरक्षित किया जाना चाहिए और उस उद्देश्य को सुगम बनाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि इसे सख्ती से पारदर्शिता प्रदर्शित करनी चाहिए और अपने लाभार्थियों द्वारा उस पर जताए गए विश्वास को बनाए रखना चाहिए। वह प्रस्तुत करता है कि संघ को प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के निर्णय के बारे में अंधेरे में रखा गया था कि अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 जारी होने तक एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। संघ की बैठक दिनांक 10.08.2020 में प्रतिवादी नंबर 2 ने संकाय बैठक दिनांक 06.08.2020 के बारे में सूचित नहीं किया। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 2 दिनांक 12.08.2020 और 18.02.2020 की कार्यकारी परिषद की बैठकों में संघ को 28.08.2020 की बैठक में आए निर्णयों का खुलासा करने में विफल रहा।

24. सीएलएटी का संचालन करते समय संघ अनिवार्य रूप से एक वैधानिक सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है और उम्मीदवारों द्वारा उस पर व्यक्त किए गए विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए। प्रतिवादी नंबर 1 के अचानक निर्णय अपनी खुद की परीक्षा आयोजित करने के लिए, विश्वास में लेने के बिना, संघ की विश्वसनीयता को कम करता है.

25. एसएलपी याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ 2020 के आईए नंबर 91083 में उपस्थित श्री नय्यर ने प्रस्तुत किया कि आवेदक वे छात्र हैं जिन्होंने क्लैट 2020 के लिए खुद को पंजीकृत किया है और उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 के सूचना को चुनौती दी है, जिसे रिट याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 11059 दायर की गई है। आवेदकों ने 2020 की रिट याचिका संख्या 1030 में 2020 का आइ ए संख्या.91083 भी दायर किया है और रिट याचिका के कारण का समर्थन किया है। श्री नैयर आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त आवेदक 12.09.2020 को आयोजित परीक्षा में भी उपस्थित हुए हैं। वह प्रस्तुत करता है कि अखिल भारतीय परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं जिनके अपने फायदे हैं। श्री नैय्यर प्रस्तुत करते हैं कि जब संघ द्वारा 18.05.2020 को 21.06.2020 के लिए निर्धारित परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, तो यह उल्लेख किया गया था कि 21 तारीख तय करने के

लिए छात्रों को 10 एससीआर दिनों का सूचना दिया जाएगा। श्री नैयर ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 12.09.2020 को आयोजित परीक्षा न तो पारदर्शी थी और न ही निष्पक्ष। मॉक टेस्ट एक दिन पहले ही आयोजित किया गया था। श्री नैयर ने कहा है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर न देने पर 25 की नकारात्मक अंकन है जो सीएलएटी में शर्त नहीं थी। वह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने के लिए आगे बढ़ने का एक कारण 17 करोड़ का कथित नुकसान है जो एक प्रासंगिक कारण नहीं हो सकता है।

26. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गोपाल शंकरनारायण ने यह भी तर्क दिया कि अकादमिक परिषद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, जिनकी बैठकें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा न तो बुलाई गई थीं और न ही बुलाई गई थीं। उन्होंने दोहराया कि यह अकादमिक परिषद है जो प्रवेश और प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम निकाय थी। उन्होंने अधिनियम, 1986 की अनुसूची के खंड 13 और 14 का उल्लेख किया है।

27. पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय के कई निर्णयों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर विचार करते समय संदर्भित किया जाएगा।

28. हमने पार्टियों की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

29. पक्षकारों के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों और दलीलों से, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उठते हैं: -

(1) क्या याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार है?

(2) क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना अकादमिक परिषद द्वारा इस आशय की सिफारिशों के बाद ही जारी की जा सकती थी, जो पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) में छात्रों के प्रवेश के लिए अधिनियम, 1986 के तहत सांविधिक प्राधिकरण है। कार्यक्रम 2020-2021?

(3) क्या प्रतिवादी नंबर 1, एक पंजीकृत सोसाइटी, राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय संघ का संस्थापक सदस्य होने के नाते, अपने उप-नियमों से बंधा हुआ है और छात्रों को एकीकृत

बीएएलएलबी (स्नातक) के लिए प्रवेश देने के लिए बाध्य था। क्लैट 2020 के माध्यम से कार्यक्रम?

(4) क्या 03.09.2020 की अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा, पारदर्शिता की कमी है, के खिलाफ निष्पक्ष परीक्षा की अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है?

(5) क्या 12.09.2020 को आयोजित एनएलएटी 14.09.2020 को पुन: परीक्षण के साथ कदाचार से प्रभावित था और इसे रद्द करने योग्य था?

<u>प्रश्न संख्या 1:</u>

क्या याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर करने का अधिकार है?

30. श्री अरविंद पी. दातार, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 के उदाहरण पर रिट याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने एक महत्वाकांक्षी कानून के छात्र के पिता होने का दावा किया है, हालांकि, उक्त तथ्य को चित्रित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। याचिकाकर्ता नंबर 2 एक निजी विधि विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, जो कॉलेज संघ का सदस्य नहीं है, इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है।

31. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति का याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा खंडन किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका, जो जनहित में दायर की गई है, याचिकाकर्ताओं के कहने पर पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 एक महत्वाकांक्षी कानून के छात्र के माता-पिता होने के नाते अपने वार्ड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रिट याचिका को बहुत अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं। याचिकाकर्ता नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्व कुलपति रहे हैं और संघ के संस्थापक सदस्य थे, जिसे कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 2, जो मामलों के शीर्ष पर रहा है और कानूनी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसे शिक्षा और छात्रों के कारण का समर्थन करने का हर अधिकार है।

32. यह सच है कि हालांकि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने एक महत्वाकांक्षी कानून के छात्र के माता-पिता होने का दावा किया है, लेकिन रिट याचिका में या आम प्रत्युत्तर हलफनामे में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 का वार्ड सीएलएटी, 2020 के लिए आवेदक है या नहीं। रिट याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 1 ने दलील दी है कि वह क्लैट 2020 के एक उम्मीदवार के माता-पिता हैं, जो देश भर में ऐसे ही छात्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जो पीड़ित हैं। रिट याचिका के अनुच्छेद 5 में, निम्नलिखित दलील दी गई है: -

> **"5. यह ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 एक उल्लेखनीय कानूनी विद्वान है, जिसकी भारत में कानूनी शिक्षा के विकास में भागीदारी है और विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय सर्वोपरि है। याचिकाकर्ता नंबर 2 ने पहले प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया है और सीएलएटी के विकास में भी योगदान दिया है। याचिकाकर्ता नंबर 2 अकादमिक क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव के साथ, कानूनी शिक्षा में और प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक रूप से, प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय के मनमाने आचरण से व्यथित है.....**

33. भले ही याचिकाकर्ता नंबर 1 के संबंध में, उसके वार्ड का विवरण नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता नंबर 1 क्लैट 2020 के छात्र का माता-पिता है, लेकिन याचिकाकर्ता नंबर 2 की साख को देखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारा विचार है कि रिट याचिका उसके उदाहरण पर पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। रिट याचिका के समर्थन में हलफनामा याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा शपथ ली गई है। याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा एक सामान्य प्रत्युत्तर शपथ पत्र भी शपथ लिया गया है। राष्ट्र विधि विश्वविध्यालयों के संघ का संवैधानिक ज्ञापन, जो कर्नाटक सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत 26.03.2019 को पंजीकृत है, में संघ के प्रारंभिक सदस्यों की एक सूची है, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 2 का नाम सदस्य सब्सक्राइबर नंबर 1 के रूप में उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 1 के कुलपति होने के नाते सोसायटी के पदेन सचिव कोषाध्यक्ष बने, उनके विवरण का उल्लेख ज्ञापन के अनुच्छेद 7 में भी किया गया है। एक व्यक्ति, जिसने प्रतिवादी नंबर 1 के कुलपति के रूप में काम किया है और संघ का सदस्य

भी था, जिसे सीएलएटी का संचालन करने के लिए सौंपा गया है, वह रिट याचिका के माध्यम से शिक्षा के कारण का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस प्रकार, हम प्रतिवादी की आपत्ति को खारिज करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि रिट याचिका के साथ 2020 की एक विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11059 सूचीबद्ध की गई है, जिसे पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया है, जो क्लैट 2020-2021 के लिए उम्मीदवार थे। प्रवेश सूचना दिनांक 03.09.2020 को उनके द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय में 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 2454 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसे रिट याचिका खारिज_कर दी गई थी। किस निर्णय को चुनौती देते हुए, उन्होंने उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका दायर की है

34. उपरोक्त पांच याचिकाकर्ताओं ने 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 1030 में 2020 का एक आवेदन आईए संख्या 91083 भी दायर किया है, इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए, वे 03.09.2020 के सूचना से प्रभावित और पीड़ित व्यक्ति हैं। वे छात्र, जो 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना से व्यथित हैं, वे भी इस न्यायालय के समक्ष हैं, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निखिल नैय्यर ने किया है।

35. इस प्रकार, हमारा विचार है कि उठाए गए मुद्दों को योग्यता के आधार पर तय किया जाना चाहिए, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या 2

क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना अकादमिक परिषद द्वारा इस आशय की सिफारिशों के बाद ही जारी की जा सकती थी, जो पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) में छात्रों के प्रवेश के लिए अधिनियम, 1986 के तहत वैधानिक प्राधिकरण है। कार्यक्रम 2020-2021?

36. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री निदेश गुप्ता का निवेदन यह है कि यह प्रतिवादी नंबर 1 की अकादमिक परिषद है, जो एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) में छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिनियम, 1986 के तहत वैधानिक प्राधिकरण है। कार्यक्रम। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने कार्यकारी परिषद के दिनांक 12.08.2020 और 18.08.2020 के कार्यवृत्त पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि प्रतिवादी नंबर 1 की कार्यकारी परिषद छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अधिकृत और हकदार है और कार्यकारी परिषद के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से वैध है और प्रावधानों के अनुसार है अधिनियम, 1986 का।

37. इससे पहले कि हम उपरोक्त प्रश्न के संबंध में पार्टियों के लिए विद्वान वकील के संबंधित प्रस्तुतियों में प्रवेश करें, हम उपरोक्त संबंध में क़ानून के प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं।

38. भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविधालय अधिनियम, 1986 को बेंगलुरु (अब बेंगलुरु) में भारतीय राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 8 के अंतर्गत स्कूलों के प्राधिकारियों की गणना की गई है, जिसमें कार्यकारी परिषद के साथ-साथ विद्या परिषद भी शामिल है। धारा 10 कार्यकारी परिषद से संबंधित है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है: -

> "10. कार्यकारी परिषद- (1) कार्यकारी परिषद विद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। (2) विद्यालय का प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण और उसकी आय कार्यकारी परिषद के साथ निहित होगी जो विद्यालय की संपत्ति और निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी।

39. अधिनियम की धारा 11 निम्नलिखित तरीके से अकादमिक परिषद से संबंधित है:

> "11. विद्या परिषद- विद्या परिषद् विद्यालय का शैक्षिक निकाय होगा और इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण और सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएँ। इसे सभी शैक्षणिक मामलों पर कार्यकारी परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा।

40. कार्यकारी परिषद को अधिनियम की धारा 13 के तहत विद्यालय के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए प्रदान करने के लिए विनियम तैयार करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 13, जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है: -

"13. विनियम-

1)इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यकारी परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, विद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन और प्रबन्ध के लिये उपबंध करने के लिये विनियम विरचित करने की शक्ति होगीः

परन्तु कार्यकारिणी परिषद् विद्यालय के किसी प्राधिकारी की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई विनियम तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में, और इस प्रकार व्यक्त की गई किसी भी राय पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना, कार्यकारी परिषद् निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या सभी को प्रभावित करने वाले किसी विनियम का निरसन नहीं करेगी, न ही संशोधन करेगी और न ही निरसन करेगी, अर्थात् :-

(क) विद्या परिषद् का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ख) विद्यालय पाठ्यक्रमों और संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में शिक्षण आयोजित करने के लिए कौन-कौन से प्राधिकारी उत्तरदायी हैं;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(घ) संकायों, विभागों, हॉल और संस्थानों की स्थापना और उन्मूलन;

(ङ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;

(च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें और पद्धतियाँ या परीक्षाओं का संचालन या

अध्ययन का कोई अन्य पाठ्यक्रम;

(छ) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की विधि;

(ज) परीक्षाओं को विद्यालय परीक्षाओं के समकक्ष के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(2) विद्या परिषद् को उपर्युक्त (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट सभी विषयों और इस संबंध में आनुषंगिक और उससे संबंधित विषयों पर विनियम प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(3) जहाँ कार्यकारी परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित विनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया है, वहाँ विद्या परिषद् कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि प्रस्तावित विनियम सामान्य परिषद् के अनुमोदन के लिए उसकी अगली बैठक के समक्ष रखा जाए और यह कि सामान्य परिषद् का ऐसा अनुमोदन लंबित होने तक वह ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो उस क्रम में विनिर्दिष्ट की जाए:

बशर्ते कि यदि ऐसी बैठक में सामान्य परिषद द्वारा विनियमन को अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो यह प्रभावी नहीं होगा।

(4) कार्यकारी परिषद् द्वारा बनाए गए सभी विनियम, यथाशीघ्र, अनुमोदन के लिए, कुलाधिपति और महापरिषद को उसकी अगली बैठक में और सामान्य परिषद के पास उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा शक्ति होगी, कार्यकारी परिषद द्वारा किए गए किसी भी विनियमन को रद्द करने के लिए और इस तरह के नियमों को इस तरह के संकल्प की तारीख से प्रभावी नहीं होगा।

41. धारा 18 विद्यालय के अधिकारियों और अधिकारियों से संबंधित है, उनकी संरचना, शक्तियां और कार्य, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं या जैसा कि विनियमों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। धारा 18 निम्नलिखित प्रभाव से है:-

"18. विद्यालय आदि के अधिकारी और अफसर -

विद्यालय के अधिकारी और उनकी संरचना, शक्तियां, कार्य और उनसे संबंधित अन्य मामले, विद्यालय के अधिकारी और उनकी नियुक्ति, शक्तियां, कार्य और उनसे संबंधित अन्य मामले और विद्यालय के मामलों के वित्त, शक्तियों, शिक्षण, प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित अन्य सभी मामले, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में या विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए।

42. अनुसूची कार्यकारी परिषद की सदस्यता, कार्यकारी परिषद की अवधि और कार्यकारी परिषद की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रदान करती है, अनुसूची का खंड 9, जो कार्यकारी परिषद की शक्तियों और कार्यों के लिए प्रदान करता है, निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: -

"9. कार्यकारी परिषद की शक्तियां और कृत्य-

खंड 5 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यकारी परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात:-

1)इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर समय-समय पर कुलपति, कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और शिक्षण कर्मचारिय के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना:

परन्तु कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों के संबंध में दूसरे परंतुक के अंतर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि नियुक्तियां करने के लिए कोई चयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं होगा,

(ए) किसी भी अधिसंख्य पद के लिए; या

(बी) पद स्वीकार करने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा आमंत्रित उच्च शैक्षणिक विशिष्टता, प्रतिष्ठा और पेशेवर प्राप्ति के व्यक्ति के प्रोफेसर के पद के लिए;

(2) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियां अवधारित करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता विनिर्दिष्ट करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त करना जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएँ, या ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों या अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्ति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना, जो कार्यकारी परिषद् करे, समय-समय पर, संकल्प द्वारा, या तो आम तौर पर या विशेष रूप से, प्रत्यक्ष;

(3) विद्यालय के किसी अधिकारी को आकस्मिक छुट्टी के अलावा अनुपस्थिति की छुट्टी के नियमों के अनुसार मंजूरी देना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(4) विद्यालय के वित्त, खातों, निवेश, संपत्ति, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करने के लिए और उस उद्देश्य के लिए ऐसे एजेंटों को नियुक्त करने के लिए, जैसा कि वह उचित समझे;

(5) विद्यालय से संबंधित किसी भी पैसे का निवेश करने के लिए, किसी भी अप्रयुक्त आय सहित, ऐसे स्टॉक, निधि, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जैसा कि यह समय-समय पर उचित समझे या भारत में अचल संपत्ति की खरीद में, समय-समय पर इस तरह के निवेश को बदलने की समान शक्ति के साथ;

(6) विद्यालय की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण को स्थानांतरित या स्वीकार करना;

(7) विद्यालय की ओर से अनुबंधों में प्रवेश करना, अलग-अलग करना, करना और रद्द करना और उस उद्देश्य के लिए ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना जो वह ठीक समझे;

(8) विद्यालय के काम को करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन प्रदान करना;

(9) विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, की किसी भी शिकायत का निवारण करना, मनोरंजन करना, निर्णय लेना और यदि वह ठीक समझे तो उसका निवारण करना। छात्र और विद्यालय के कर्मचारी, जो किसी भी कारण से, अदालत के एक अधिनियम की तुलना में अन्यथा पीड़ित महसूस कर सकते हैं;

(10) परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उनकी शुल्क, परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(11) विद्यालय के लिए एक आम मुहर का चयन करने और सील की हिरासत के लिए प्रदान करने के लिए; और

(12) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

43. खंड 13 अकादमिक परिषद की सदस्यता से संबंधित है और खंड 14 अकादमिक परिषद की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए प्रदान करता है। खण्ड 14 इस प्रकार है -

खण्ड 14 अकादमिक परिषद की शक्तियां और कर्तव्य।

इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् को, इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(1) सामान्य परिषद् या कार्यकारी परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर प्रतिवेदन देना;

(2) विद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, उत्सादन या वर्गीकरण और उनसे अनुलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारी परिषद को सिफारिशें करना;

(3) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और संशोधित करना या संशोधित करना, और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सौंपना और किसी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन की समीचीनता या एक संकाय के दूसरे के साथ संयोजन के बारे में कार्यकारी परिषद को रिपोर्ट करना;

(4) विद्यालय में नामांकित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के निर्देश और परीक्षा के लिए नियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;

(5) विद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और समय-समय पर, इस तरह के शोध पर रिपोर्ट की आवश्यकता होती है;

(6) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए;

(7) विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करने के लिए;

(8) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देने और विद्यालय के डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समानता निर्धारित करने के लिए;

(9) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता का समय, रीति और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(10) परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कार्यकारी परिषद को सिफारिशें करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी शुल्क परिलब्धियों और यात्रा और अन्य खर्चों का निर्धारण;

(11) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने की तारीखें तय करना;

(12) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना, या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों को नियुक्त करना, और परिमाण, सम्मान, कूटनीतिक अनुज्ञापित, उपाधियां और सम्मान के निशान प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना;

(13) पुरस्कार, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार और विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार बनाने के लिए जो पुरस्कारों से जुड़ी हो सकती हैं;

(14) विहित या अनुशंसित पाठ्यपुस्तकों की सूचियाँ प्रकाशित करना और अध्ययन के विहित पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम प्रकाशित करना;

(15) ऐसे प्रपत्र और सूची तैयार करना जो विनियमों द्वारा समय-समय पर विहित किए जाते हैं; और

(16) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

44. हमने अधिनियम, 1986 के तहत वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया है, अब, पार्टियों के लिए विद्वान वकील की संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो प्रश्न विचारणीय है वह यह है कि क्या विद्यार्थियों के दाखिले के संबंध में विद्या परिषद की सिफारिश सांविधिक अपेक्षा है अथवा नहीं।

45. श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि धारा 10 के अनुसार, कार्यकारी परिषद विद्यालय और प्रशासन का मुख्य कार्यकारी निकाय है, विद्यालय का प्रबंधन और नियंत्रण कार्यकारी परिषद के पास निहित है, इसलिए, छात्रों के प्रवेश के संबंध में, शक्ति कार्यकारी परिषद के पास निहित है। उनका कहना है कि छात्रों का प्रवेश प्रशासन के **पहलुओं** में से एक है। उन्होंने **टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (2002) 8 एससीसी 481** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। जहां निर्णय के अनुच्छेद 50 में, इस न्यायालय ने कहा कि स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार में मोटे तौर पर छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 50 इस प्रकार है: -

"50. स् थापित करने और प्रशासन करने के अधिकार में व् यापक रूप से निम् नलिखित अधिकार शामिल हैं:-

(क) छात्रों को प्रवेश देना:

(ख) युक्तियुक्त शुल्क संरचना स् थापित करना:

(ग) शासी निकाय का गठन करना;

(घ) स्टाफ (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करना; और

(ई) किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य की लापरवाही होने पर कार्रवाई करने के लिए।

46. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि कार्यकारी परिषद विद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय है और विद्यालय का प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण कार्यकारी परिषद में निहित है और प्रशासन में, छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार शामिल है, लेकिन यह पता लगाने के लिए संविधि पर और ध्यान देना होगा कि क्या छात्रों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए कोई अन्य वैधानिक प्रावधान हैं या कोई अन्य है विद्यालय का अधिकार, जो छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति के साथ निहित है

47. अपने सबमिशन को पुष्ट करने के लिए, श्री गुप्ता ने अधिनियम की धारा 13 के दूसरे परंतुक पर भरोसा किया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। धारा 13(1) कार्यकारी परिषद को विद्यालय के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए विनियम बनाने का अधिकार देती है। तथापि, विनियम बनाने की कार्यकारी परिषद की शक्ति दूसरे परंतुक द्वारा वातानुकूलित है, जो निम्नलिखित प्रभाव से लागू है - परंतु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना, कार्यकारी परिषद् निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या सभी को प्रभावित करने वाले किसी विनियम को बनाने, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, अर्थात् -

(छ) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की विधि;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

48. श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि धारा 13 के दूसरे परंतुक में निहित वैधानिक आवश्यकता के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, हालांकि, वह प्रस्तुत करता है कि धारा 13 का दूसरा परंतुक वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि छात्रों के नामांकन या प्रवेश के संबंध में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। जब कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं और कार्यकारी परिषद ने उसमें किसी विनियम या संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है, तो दूसरे परंतुक के अंतर्गत प्रतिबंध लागू नहीं होता है। श्री दातार आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 13

के तहत नियमों को बनाने की शक्ति एक अलग और स्वतंत्र शक्ति है। जब धारा 10 के तहत कार्यकारी परिषद को शक्ति दी जाती है, तो वह प्रस्तुत करता है कि भले ही धारा 13 के तहत कार्यकारी परिषद द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया हो, यह अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त अपनी सामान्य शक्ति का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है। श्री दातार ने **पी.टी। सी भारत लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग** में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। (2010) 4 एससीसी 603। उपर्युक्त मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ को विद्युत अधिनियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। अधिनियम की धारा 79 में केंद्रीय आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है जबकि धारा 178 केंद्रीय आयोग को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इस न्यायालय ने माना कि धारा 79 में उल्लिखित केंद्रीय आयोग के कार्य धारा 178 के तहत केंद्रीय आयोग के कार्यों से अलग और अलग हैं, अनुच्छेद 53 और 55 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: -

> "53. उपर्युक्त परीक्षणों को 2003 अधिनियम की योजना पर लागू करने पर, हम पाते हैं कि अधिनियम के तहत, केंद्रीय आयोग एक साथ निर्णय लेने के साथ-साथ विनियमन बनाने वाला प्राधिकरण है। धारा 79 केंद्रीय आयोग के कार्यों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में चित्रित करती है - अनिवार्य कार्य और सलाहकार कार्य। टैरिफ विनियमन, लाइसेंसिंग (अंतरराज्यीय व्यापार लाइसेंसिंग सहित), उत्पादन कंपनियों अथवा पारेषण लाइसेंसियों से संबंधित विवादों पर न्यायनिर्णयन अनिवार्य कार्य शीर्ष के अंतर्गत आते हैं जबकि राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार करने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना परामर्शी कार्य शीर्ष के अंतर्गत आएगा। इस अर्थ में, केंद्रीय आयोग निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। धारा 79(1) के तहत ऐसा निर्णय केंद्रीय आयोग द्वारा धारा 178 के तहत विनियम बनाने पर निर्भर नहीं है। इसलिए, उल्लिखित केंद्रीय आयोग के तहत केंद्रीय आयोग के कार्यों से अलग और अलग हैं। पहली व्यवस्थापक/न्यायिक कार्य हैं जबकि बाद वाली विधायी हैं।

55. विनियमन करने के लिए एक अभ्यास है जो नियमों के निर्माण से अलग है। तथापि, धारा 178 के अंतर्गत विनियम बनाना केन्द्रीय आयोग के लिए धारा 79(1) के अंतर्गत कोई कदम/उपाय करने की पूर्व शर्त नहीं है। जैसा कि कहा गया है, यदि कोई विनियमन है, तो धारा 79 (1) के तहत उपाय धारा 178 के तहत इस तरह के विनियमन के अनुरूप होना चाहिए....."

49. हम **वी.टी खानजोडे और अन्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934,2 एस.सी.सी** के मामले में इस न्यायालय के एक और फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 (1) में प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, इस अधिनियम के अनुरूप सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए विनियम बना सकता है जिनके लिए प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक या सुविधाजनक है। धारा 58 (1) के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए थे। तर्क दिया गया था कि सेवा की शर्तों को प्रशासनिक परिपत्रों द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 58 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। उक्त तर्क को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 18 में निम्नलिखित निर्धारित किया: -

"18. इस प्रस्तुति के समर्थन में, इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानून, 4 वें एड के अनुच्छेद 1326 और 1333 (पृष्ठ 775 और 779) में निहित कानून के बयान पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है। अनुच्छेद 1326 में यह कहा गया है कि:

> निगम या तो वैधानिक या गैर-सांविधिक हो सकते हैं और दो वर्गों की शक्तियों और देनदारियों के बीच एक मौलिक अंतर मौजूद है। वैधानिक निगमों के पास ऐसे अधिकार हैं और वे केवल ऐसे कार्य कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बनाने वाले क़ानूनों द्वारा अधिकृत हैं; गैर-सांविधिक निगम, आम तौर पर बोलते हुए, वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है जब तक कि क़ानून द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित न हो।

अनुच्छेद 1333 कहता है कि:

क़ानून द्वारा बनाए गए निगम की शक्तियाँ सीमित हैं और उन विधियों द्वारा परिसीमित हैं जो इसे विनियमित करती हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से बताई गई तुलना में आगे नहीं बढ़ती हैं, या आवश्यक रूप से और आवश्यक रूप से आवश्यक है और इसके निगमन के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है, या इसके लिए काफी प्रासंगिक माना जा सकता है, या परिणामी, इन चीजों पर जिन्हें विधायिका ने अधिकृत किया है। जो क़ानून स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत नहीं करता है, उसे निषिद्ध माना जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वैधानिक निगम केवल ऐसे कार्य कर सकता है जो इसे बनाने वाले क़ानून द्वारा अधिकृत हैं और ऐसे निगम की शक्तियां क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। यदि कोई अधिनियम न तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से उस क़ानून द्वारा अधिकृत है जो निगम बनाता है, तो इसे निषिद्ध माना जाना चाहिए। तथापि, इससे वह परिणाम नहीं मिल सकता जिसके लिए श्री नरीमन तर्क दे रहे हैं। उनका तर्क यह नहीं है कि केंद्रीय बोर्ड के पास कर्मचारियों के नियमों को तैयार करने की कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह है कि उसे केवल धारा 58 (1) के तहत ऐसा करना चाहिए। उस तर्क पर, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि धारा 58 (1) एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है जिसके तहत केंद्रीय बोर्ड उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए नियम बना सकता है जिनके लिए अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रावधान करना आवश्यक या सुविधाजनक है। यह प्रावधान इस तर्क को सही नहीं ठहराता है कि कर्मचारियों के नियमों को इसके तहत तैयार किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। मामले का सार यह है कि केंद्रीय बोर्ड के पास बैंक के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने की

शक्ति है। यदि उसके पास वह शक्ति है, तो वह या तो धारा 58 (1) के अनुसार या प्रशासन और अधीक्षण की अपनी सामान्य शक्ति के प्रयोग में उचित रूप से कार्य करके इसका प्रयोग कर सकता है।

50. हम श्री दातार के निवेदन में सार पाते हैं कि धारा 13 के तहत कार्यकारी परिषद को विनियम बनाने की शक्ति और धारा 10 के तहत विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण की शक्ति दो अलग-अलग शक्तियां हैं और भले ही छात्रों के प्रवेश के संबंध में धारा 13 के तहत विनियम नहीं बनाए गए हों, कार्यकारी परिषद धारा 10 के तहत अपनी शक्ति का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकती है, विद्यालय के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण। हालांकि, धारा 13 में निहित प्रावधान वैधानिक योजना पर काफी प्रकाश डालते हैं। विद्याथयों के नामांकन और दाखिले की पद्धति सहित प्रगणित विषयों पर विद्या परिषद की पूर्व सहमति का उपबंध करने वाला दूसरा परंतुक इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि संविधि की स्कीम के अंतर्गत यह अकादमिक परिषद छात्रों के नामांकन या प्रवेश के तरीके के बारे में निर्णय लेते हैं, जिसे हम इसके बाद देखेंगे। कार्यकारी परिषद की शक्ति बनाने वाले विनियमों में उपरोक्त प्रतिबंध को उद्देश्य और उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। दूसरे परंतुक के अंतर्गत जिन विषयों का उल्लेख किया गया है जहां विद्या परिषद की पूर्व सहमति अपेक्षित है, वे सभी मामले हैं जो शैक्षिक परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस प्रकार, यद्यपि धारा 13(1) का कड़ाई से दूसरा परंतुक तब लागू नहीं होता जब कार्यकारी परिषद द्वारा कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं लेकिन कार्यकारी परिषद की विनियमन बनाने की शक्ति के प्रयोग को कंडीशनिंग करने का उद्देश्य और उद्देश्य नहीं खोया जा सकता है। धारा 13 की उपधारा (3) में भी एक विशेष उपबंध है जिसमें यह उपबंध है कि जहां कार्यकारी परिषद विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित विनियम के प्रारूप को अस्वीकार करती है वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति से अपील कर सकेगी और कुलाधिपति, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि प्रस्तावित विनियम को सामान्य परिषद् की अगली बैठक के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाए और सामान्य परिषद् का ऐसा अनुमोदन लंबित होने तक वह निम्नलिखित से प्रभावी होगा दिनांक जैसा कि उस क्रम में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार, अकादमिक परिषद के विनियम, जिन्हें कार्यकारी परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, को कुलाधिपति द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है और

अनुमोदन के लिए सामान्य परिषद के समक्ष रखना आवश्यक है और अनुमोदन के बाद इसे संचालित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान इंगित करता है कि कुछ मामलों में अकादमिक परिषद की सिफारिशों को प्रमुखता दी गई है और धारा 13 की उप-धारा (2) के अनुसार, अकादमिक परिषद के पास धारा 13 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में उल्लिखित (ए) से (एच) में निर्दिष्ट सभी मामलों पर नियमों का प्रस्ताव करने की शक्ति होगी। इस प्रकार, विद्या परिषद विद्याथयों के नामांकन और दाखिले के तरीके के संबंध में भी विनियम प्रस्तावित कर सकती है।

51. अब, हम यह पता लगाने के लिए क़ानून के अन्य प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धारा 13 के प्रावधानों के अलावा छात्रों के प्रवेश के संबंध में निर्णय लेने के लिए अकादमिक परिषद को सशक्त बनाने वाले कोई अन्य वैधानिक प्रावधान हैं या नहीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विद्यालय के प्राधिकारियों की संरचना, शक्तियां और कार्य अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। अनुसूची के खंड 14 में प्रावधान है इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, विद्या परिषद को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(7) विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति करना;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(11) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए तारीखें तय करना;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(16) शैक्षिक विषयों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्यों को करना जो इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के उचित पालन के लिए आवश्यक हों।

52. अनुसूची में उपर्युक्त प्रावधान विशेष रूप से विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों को नियुक्त करने के लिए अकादमिक परिषद को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार,

विद्यालय में प्रवेश को अकादमिक परिषद के नियंत्रण में माना गया था और समितियों की नियुक्ति विद्यालय के प्रवेश की निगरानी और संचालन के उद्देश्य से की गई थी। जब 1986 में अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो प्रवेश के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं थी और क़ानून ने कार्यकारी परिषद को विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया था। विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियों की नियुक्ति के संबंध में खंड 14 (16) के आधार पर, अकादमिक परिषद को "ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना था और ऐसे सभी कार्य करना था जो अधिनियम के प्रावधानों को उचित रूप से लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं"। इस प्रकार, उपरोक्त वैधानिक प्रावधान ने प्रवेश के संबंध में अकादमिक परिषद को सभी आकस्मिक शक्तियां दीं।

53. अब, हम विद्यालय में प्रवेश के संबंध में अकादमिक परिषद को दी गई शक्ति के साथ कार्यकारी परिषद की शक्तियों और कार्यों के साथ तुलना करते हैं जैसा कि खंड 9 में दिया गया है। खंड 9 के तहत कार्यकारी परिषद को दी गई शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (i) उप-खंड (1), (2), (3) और (9) नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित हैं; (ii) वित्त और संपत्तियों से संबंधित उपखंड (4), (5), (6), (7) और (8) और (iii) अन्य खंड (10), (11) और (12) शामिल हैं। खंड (11) कार्यकारी परिषद को विद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करने का अधिकार देता है और उप-खंड (12) एक सामान्य शक्ति है जो कार्यकारी परिषद को ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रदान करता है जो लगाए जा सकते हैं।

54. हमारे पास केवल खंड अर्थात उपखंड (10) बचा है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:-

> "परीक्षकों और मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाने और अकादमिक परिषद से परामर्श करने के बाद उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य भत्ते तय करने के लिए।

55. श्री अरविन्द दातार ने खण्ड 14 के उपखण्ड (11) में दी गई अकादमिक परिषद की शक्ति, जो अकादमिक परिषद को परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने और उन्हें आयोजित करने की तारीखें निर्धारित करने का अधिकार देती है, का उल्लेख करते हुए कहा

कि उक्त शक्ति विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित करने से संबंधित है। इस प्रकार, अनुसूची के खंड 9 के उपखंड (10) का अर्थ यह भी पढ़ा जाना चाहिए कि परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के संबंध में है। यह ध्यान देने योग्य है कि परीक्षकों और मध्यस्थों को नियुक्त करने की शक्ति भी इस शर्त के साथ है, अर्थात, "अकादमिक परिषद से परामर्श करने के बाद"। जब कार्यकारी परिषद द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति विद्या परिषद के परामर्श से की जाती है तो विद्याथयों के प्रवेश के तरीके और तरीके से विद्या परिषद की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। इस प्रकार, अधिनियम की सांविधिक योजना, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, इंगित करती है कि कार्यकारी परिषद को धारा 10 में निहित कार्यकारी परिषद की सामान्य शक्ति को छोड़कर छात्रों के प्रवेश के संबंध में कोई विशिष्ट शक्ति नहीं दी गई है, जबकि अनुसूची के खंड 14 का सांविधिक प्रावधान विशेष रूप से अकादमिक परिषद को विद्यालय में प्रवेश के लिए समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार, संविधि ने अकादमिक परिषद के तत्वावधान में विद्यालय में प्रवेश पर विचार किया। अनुसूची के खंड 14 के उपखंड (16) के साथ पठित खंड 14 के उपखंड (7) में विद्याथयों के प्रवेश की पद्धति और रीति सहित सभी शक्तियां विद्या परिषद को प्रदान की जाती हैं। अधिनियम की धारा 11 का भी उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि विद्या परिषद विद्यालय का अकादमिक निकाय होगा और उसके पास विद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए नियंत्रण और सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह उत्तरदायी होगी। धारा 11 में "नियंत्रण की शक्ति", "सामान्य विनियमन" और "जिम्मेदार हो" नामक तीन अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया था। धारा 11 में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ "विद्यालय के निर्देशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों का रखरखाव" हैं। अब यह तय कानून है कि शिक्षा के मानकों में पाठ्यक्रम में प्रवेश शामिल है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **डा प्रीति श्रीवास्तव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1999) 7 एससीसी 120** में निर्णय दिया है कि दाखिले के मानदंडों का शिक्षा के मानकों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। अनुच्छेद 36 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया था: -

"36. यह कहना सही नहीं होगा कि प्रवेश के मानदंडों का शिक्षा के स्तर से कोई संबंध नहीं है, या प्रवेश के नियम केवल सूची III की प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किए गए हैं। प्रवेश के मानदंड का शिक्षा के मानकों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है.....

56. जब अकादमिक परिषद को नियंत्रण, सामान्य विनियमों की शक्ति दी गई है और विद्यालय के निर्देश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, तो इसका एक कार्य, निस्संदेह छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना है। अनुसूची की धारा 18 और खंड 14 के साथ धारा 11 को पढ़ने से छात्रों के दाखिले में विद्यापीठ की भूमिका का स्पष्ट प्रावधान है।

57. इस स्तर पर, हम कार्यकारी परिषद की दिनांक 29.08.1987 और 30.08.1987 की बैठक का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिस पर प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने भरोसा किया था। कार्यवाही को प्रतिवादी नंबर 1 के जवाबी हलफनामे के साथ अभिलेख पर लाया गया है। बैठक के आइटम नंबर 16 ने छात्रों के चयन से संबंधित किया। कार्यवाही की मद संख्या 16 को निकालना प्रासंगिक है जो निम्नलिखित प्रभाव से है: -

"**<u>आइटम नंबर 16</u>** **<u>छात्रों का चयन</u>**

अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के चयन के लिए अकादमिक परिषद के मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रवेश परीक्षा और चयन की प्रक्रिया विद्या परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है और निदेशक द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है।

तथापि, कार्यकारी परिषद ने साक्षात्कार के लिए बुलाए गए विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी रेल किराए का एक तरफ का भुगतान करने की विद्या परिषद की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया।

परिषद ने प्राध्यापक उपेंद्र बक्शी के अनुरोध पर दोनों विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित नमूना प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्रकार को नोट किया। तथापि, परीक्षा को अंतिम रूप देने का मामला विद्या परिषद और निदेशक पर छोड़ दिया गया था। परिषद ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेसर्स आरसी मिश्रा और सीबी द्विवेदी

द्वारा प्रदान की गई प्रवेश परीक्षा के प्रारूप को प्रोफेसर उपेंद्र बक्शी के उदाहरण के रूप में नोट किया।

परिषद ने डॉ. बक्शी की 1,000.00 रुपये के मानदेय का भुगतान करने और इस संबंध में काम करने के लिए दो प्रोफेसरों की सिफारिशों को भी नोट किया। परिषद ने तदनुसार रु.2,000.00 (प्रत्येक को रु.1,000.00) के भुगतान का अनुमोदन किया और निदेशक को प्रोफेसरों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए लिखने के लिए अधिकृत किया। परीक्षा और साक्षात्कार के आयोजन में शामिल खर्चों के लिए, परिषद ने 25,000.00 रुपये से अधिक राशि के बजट आवंटन को मंजूरी नहीं दी। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि प्रथम वर्ष एलएलबी कक्षा में प्रवेश 80 छात्रों तक सीमित किया जाए और एलएलएम कक्षा के लिए प्रवेश 10 छात्रों तक सीमित किया जाए। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आवेदन शुल्क एलएलबी के लिए 125.00 रुपये निर्धारित किया जा सकता है, हालांकि एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में इसे घटाकर 50 रुपये किया जा सकता है।

58. कार्यकारी परिषद के उपरोक्त संकल्प से संकेत मिलता है कि यह प्रवेश परीक्षा के संबंध में अकादमिक परिषद का एक मसौदा प्रस्ताव था, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव में अगला निम्नलिखित वाक्य प्रासंगिक है "प्रवेश परीक्षा और चयन की प्रक्रिया अकादमिक परिषद द्वारा तय की जा सकती है और निदेशक द्वारा लागू की जा सकती है"। प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं अकादमिक परिषद की 12.12.1987 की बैठक की कार्यवाही को अनुलग्नक आर-1/2 के रूप में अभिलेख पर लाया है, जहां एलएलबी कार्यक्रम के लिए छात्रों के चयन का तरीका प्रदान किया गया था। इस प्रकार, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद की उपरोक्त कार्यवाही स्वयं यह स्पष्ट करती है कि कार्यकारी परिषद की राय थी कि यह अकादमिक परिषद है जो एलएलबी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के तरीके और तरीके के बारे में वैधानिक प्राधिकरण है। कार्यकारी परिषद दिनांक 29.08.1987 और अकादमिक परिषद की दिनांक 12.12.1987 की उपरोक्त कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस निवेदन का पूरी तरह समर्थन करती है कि यह

अकादमिक परिषद है जिसे एलएलबी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के संबंध में संकल्प लेने के लिए क़ानून के तहत सशक्त किया गया है।

59. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें संविधि में सौंपे गए हैं। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बलवंत राव चव्हाण, (1989) 3 एससीसी 132 में इस न्यायालय ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, कुलपति और कार्यकारी परिषद की शक्तियों पर विचार करते हुए कहा कि जब कोई संविधि किसी विशेष निकाय को शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्धारित करती है, तो इसका प्रयोग केवल उस निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 20 में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

> "20. अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के काम और आचरण को विनियमित करने के लिए कुलपति की व्यक्त शक्ति के साथ-साथ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति भी निहित है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले, अधिकारियों के काम और आचरण को विनियमित करने की शक्ति में उन को हटाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति शामिल नहीं हो सकती है। दूसरे, अधिनियम कार्यकारी परिषद में अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है और इसमें आम तौर पर हटाने की शक्ति शामिल होती है। यह शक्ति अधिनियम की धारा 24(1)(xxix) के तहत स्थित है। इसलिए, यह तर्क देना व्यर्थ है कि कुलपति उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो कार्यकारी परिषद को प्रदान की जाती है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जब अधिनियम किसी विशेष निकाय को शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्धारित करता है तो इसका प्रयोग केवल उस निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग दूसरों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे प्रत्यायोजित न किया जाए.....

60. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि कार्यकारी परिषद ने प्रशासन की सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने दिनांक 12.08.2020/18.08.2020 के संकल्प में प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में कोई भी संकल्प लिया हो सकता था, लेकिन अकादमिक परिषद की कार्यकारी परिषद के 12.08.2020/18.08.2020 के निर्णय को लागू करने के लिए

प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के तरीके और तरीके के बारे में प्राप्त करना आवश्यक था। एनएलएटी नामक एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए अकादमिक परिषद की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक था, खासकर जब प्रतिवादी नंबर 1 सीएलएटी द्वारा छात्रों को प्रवेश देने के बजाय उपरोक्त परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहा था, जिसमें से सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा, एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश पिछले एक दशक से अधिक समय से किया जा रहा था। जब प्रतिवादी नंबर 1 45 मिनट के ऑनलाइन गृह प्रॉक्टर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित करना चाहता था जिसमें 40 प्रश्न थे जो मोड और तरीके पहले के नुस्खे से अलग थे, तो अकादमिक परिषद की सिफारिशें अनिवार्य थीं। कार्यकारी परिषद की बैठक की कार्यवाही, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 दिनांक 12.08.2020 द्वारा भरोसा किया गया है, कार्यकारी परिषद का निर्णय निम्नलिखित प्रभाव से था:

> "यह सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया था कि यदि क्लैट में और देरी होती है, तो कुलपति को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है कि 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया सितंबर में पूरी हो, एनएलएसआईयू अपनी प्रवेश प्रक्रिया चलाने के लिए अधिकृत है और यदि आवश्यक हो तो एक स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत है, यदि क्लैट परीक्षा को और स्थगित कर दिया जाता है।

61. दिनांक 18.08.2020 को कार्यकारी परिषद ने सर्वसम्मति से दिनांक 12.08.2020 को लिए गए अपने संकल्प की पुष्टि की, जिसमें क्लैट 2020 में और देरी होने की स्थिति में कुलपति और विश्वविद्यालय को स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार दिया गया था। ये प्रस्ताव कुलपति को सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दे रहा है। सभी आवश्यक कदमों को उन कदमों के रूप में समझाया जाना चाहिए जिन्हें संविधि के अनुसार उठाया जाना अपेक्षित है। जब अधिनियम, 1986 ने विद्या परिषद को एलएलबी पाठ्यक्रम में विद्याथयों के दाखिले के संबंध में निर्णय लेने और प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के तरीके के संबंध में अधिकार प्रदान किया तो कुलपति के लिए यह अनिवार्य था कि वह विद्या परिषद की सिफारिशें प्राप्त कर ले। कुलपति स्वयं विद्या परिषद के अध्यक्ष हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं थी और विद्या परिषद की बैठकों के संबंध में खण्ड 15

उपखंड (6) में यह प्रावधान है कि यदि विद्या परिषद द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है तो शैक्षिक परिषद के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्या परिषद के सदस्यों को पत्रों के परिचालन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकता है।

62. इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी नंबर 1 को 03.09.2020 को प्रवेश अधिसूचना जारी करके एनएलएटी आयोजित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले अकादमिक परिषद की सिफारिश प्राप्त करने के लिए क़ानून द्वारा आवश्यक था। इस प्रकार, हम पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, मानते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना अकादमिक परिषद द्वारा इस आशय की सिफारिश प्राप्त किए बिना जारी नहीं की जा सकती थी। अकादमिक परिषद की सिफारिश के बिना दिनांक 03.09.2020 को जारी की गई प्रवेश अधिसूचना अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और अस्थिर है।

<u>प्रश्न संख्या 3</u>

<u>क्या प्रतिवादी नंबर 1, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ का संस्थापक सदस्य होने के नाते, एक पंजीकृत सोसायटी, अपने उप-नियमों से बंधा हुआ है और एकीकृत बीएएलएलबी के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य था। क्लैट 2020 के माध्यम से कार्यक्रम?</u>

63. हमने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के एक संघ के निर्माण में अग्रणी घटनाओं के अनुक्रम को ऊपर नोट किया है। एनएलयू द्वारा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम आधार पर आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए 23-11-2007 को सात मौजूदा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवम्बर, 2014 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का एक संघ गठित करने का निर्णय लिया गया था। संघ को 26.03.2019 को कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 में सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। संघ ने अपनी विभिन्न बैठकों में सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी) के संचालन को सरल और कारगर बनाने तथा एनएलयू

के बीच समन्वय और सहयोग के लिए निर्णय लिए। ज्ञापन में समाविष्ट सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्देश्यों में से एक निम्नलिखित प्रभाव से है -

> "V सभी भाग लेने वाले एनएलयू के लिए और उनकी ओर से कानून यानी सीएलएटी के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के संचालन का प्रशासन, नियंत्रण और निगरानी करना, और देश के विभिन्न एनएलयू में छात्रों के प्रवेश की सुविधा प्रदान करना।"

64. लक्ष्य और उद्देश्यों ने आगे खुलासा किया कि संघ का उद्देश्य एक या एक से अधिक एनएलयू की कानूनी शिक्षा का लाभ बाकी एनएलयू को देना है।

65. खंड 3 समाज के शासन से संबंधित है। खंड 33 में प्रावधान है कि समाज उसमें उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा। खंड 3.3.5 में प्रावधान है कि सोसायटी देश भर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के लिए यूजी, पीजी, डॉक्टरल, पोस्ट-डॉक्टोरल पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। खंड 3.3.6 में प्रावधान है कि सोसाइटी भारत में सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को स्नातक और स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों के लिए सीएलएटी के माध्यम से प्रवेश के लिए एक मंच प्रदान करेगी यदि ऐसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोसाइटी के सदस्य बन जाते हैं।

66. उपनियमों के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शासी निकाय की वार्षिक बैठक में किया जाना है। उपनियम खंड 12.1 के अनुसार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, बैंगलोर के कुलपति सोसायटी के पदेन सचिव कोषाध्यक्ष होंगे। उप-नियम 15 "सदस्यता" से संबंधित है जबकि उप-कानून 15.3 में "सदस्यता की आवश्यकता" शीर्षक शामिल है। उपनियम 15.3.1 और 15.3.3 जो प्रासंगिक हैं, इस प्रकार हैं: -

> "15.3.1. सदस्यता का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य संस्था संघ द्वारा निर्धारित मूल मूल्यों और मानकों को प्रतिबिंबित करती है, जो अपने सदस्य संस्थान की स्वायत्तता के लिए उचित सम्मान प्रदान करती है।
>
> ....
>
> 15.3.3. उचित बौद्धिक कठोरता बनाए रखने के लिए, एक सदस्य संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक सदस्य संस्थान में प्रत्येक शैक्षणिक

पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश एक पारदर्शी और उचित मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन की गई योग्यता के आधार पर होगा, अर्थात् सोसायटी द्वारा संचालित क्लैट, किसी भी छात्र को प्रवेश देने से पहले। परन्तु इस उपबंध की कोई बात किसी सदस्य संस्था को स्त्रियों, निशक्त व्यक्तियों या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

67. संस्थापन प्रलेख और उप-नियमों के अवलोकन से संकेत मिलता है कि प्रशंसनीय वस्तुएं जिनके लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एक साथ आए थे, एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होने वाले संघ द्वारा पुख्ता किए गए थे। आज की तारीख में, 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं जो संघ का हिस्सा हैं। हमने ऊपर देखा है कि प्रतिवादी नंबर 1 पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था जो कर्नाटक विधानमंडल के अधिनियम, 1986 द्वारा अस्तित्व में आया था। अन्य राज्यों ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का निर्माण करते हुए सूट का पालन किया। देश के विभिन्न भागों में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों ने विधिक शिक्षा के लिए अत्यधिक योगदान दिया है।

68. भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, बेंगलुरु ने शुरुआत से ही क्लैट के संचालन में अग्रणी भूमिका निभाई। विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को विभिन्न कानूनों द्वारा स्थापित किया गया है और एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने और देश में कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सांविधिक कार्य और दायित्व हैं। उन्होंने स्वयं उन पर एक सामान्य कारण के लिए संघ का हिस्सा बनने के लिए दायित्व लगाए हैं। क्लैट विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के लिए अखिल भारतीय परीक्षा होने के नाते कानूनी शिक्षा में अपना महत्व और प्रमुखता हासिल कर चुका है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा संघ का गठन करने और क्लैट के संचालन में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए उठाए गए कदम विभिन्न संविधियों के तहत सौंपे गए अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन की दिशा में हैं। इसकी अखंडता को बनाए रखने का कर्तव्य प्रत्येक सदस्य के कंधे पर है।

69. हजारों छात्र जो कानून में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं, क्लैट को एक प्रतिष्ठित परीक्षा के रूप में देखते हैं और क्लैट ने इस देश में इसकी उपयोगिता और उपयोगिता साबित की है। छात्र छात्रों की योग्यता का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संघ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन उपनियमों के तहत सदस्यों को यूजी और पीजी विधि पाठ्यक्रमों के लिए क्लैट के आधार पर अपने विधि विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देना आवश्यक है, वे सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं। यद्यपि उप-नियम गैर-सांविधिक हैं परंतु उन्हें इसके सदस्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है

70. भले ही उप-नियमों के तहत संघ के सदस्यों पर दायित्व वैधानिक दायित्व नहीं हैं, लेकिन वे दायित्व सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण दर्जे पर आसीन सभी सदस्यों को उन हजारों छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से आचरण करना होगा जो इन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा, व्यक्तित्व और आजीविका निर्माताओं के संस्थानों के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन संविधियों के तहत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, वे निष्पक्ष, उचित और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए इन राष्ट्रीय स्तरीय इकाइयों पर सार्वजनिक कर्तव्य डालते हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों को समाज और छात्रों द्वारा सम्मान और महान विश्वास के साथ देखा जाता है। सभी एनएलयू को खुद को इस तरह से संचालित करना होगा जो शिक्षा के कारण को पूरा करता है और उन पर जताए गए विश्वास को बनाए रखता है।

71. श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि उप-नियम समाज और उसके सदस्यों के बीच अनुबंध की प्रकृति में हैं। श्री दातार ने **हैदराबाद कर्णाटक एजुकेशन सोसाइटी बनाम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और अन्य, (2000) 1 एससीसी 566** में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया। उपर्युक्त मामले में इस न्यायालय को कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसके तहत संघ पंजीकृत किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि समाज के उप-नियम उन दोनों पक्षों को बाध्य करते हैं जिनके साथ यह न्यायालय अपनी सहमति व्यक्त करता है। अनुच्छेद 28 में, निम्नलिखित देखा गया था: -

"28. इस बिंदु पर चर्चा छोड़ने से पहले, हम उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सान्याल ने टी.पी डोवर बनाम लॉज विक्टोरिया नंबर 363, एससी बेलगाम [1964] 1 एससीआर 1, द कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अपर औद्योगिक अधिकरण, आन्ध्र प्रदेश और अन्य, कुलछिन्दर सिंह और अन्य बनाम हरदयाल सिंह बराड़ में इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर भरोसा किया था और टकराज वसंडी उर्फ के.एल. बनाम भारत संघ और अन्य। श्री कनसीमा को-ऑपरेटिव केन्द्रीय बैंक लिमिटेड बनाम एन सीताराम राजू एआईआर (1990) (77) एपी 171 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर, और तर्क दिया कि एक सोसायटी के उप-नियम पार्टियों के बीच एक अनुबंध हैं और दोनों पक्षों को बाध्य करते हैं। ऐसा हो सकता है, हालांकि, सवाल यह है कि क्या एक अवैध उपनियम या उस मामले के लिए एक अवैध अनुबंध किसी भी अनुबंध पक्ष को बाध्य कर सकता है।

72. उपरोक्त मामले में न्यायालय वर्तमान मामले में नियम 7 ए की वैधता से संबंधित था; हम संघ के किसी भी नियम को चुनौती देने से चिंतित नहीं हैं।

73. श्री दातार ने तर्क दिया है कि संघ की सदस्यता स्वीकार करने से, इसके सदस्यों की स्वायत्तता बनी रहती है। उन्होंने उपनियम 15.3.1 का उल्लेख किया है जिसे हम पहले ही ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। उप-नियम 15.3.1 स्वयं इस बात पर विचार करता है कि सदस्यता का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य संस्था अपने सदस्य संस्थान की स्वायत्तता के लिए उचित सम्मान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित मूल मूल्यों और मानकों को प्रतिबिंबित करे। सदस्य संस्थानों की स्वायत्तता किसी भी तरह से कॉमन विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) आयोजित करने के रास्ते में नहीं आती है। प्रत्येक संस्था संविधि शासन के अनुसार अपनी स्वायत्तता बनाए रखती है, संघ के मूल मूल्य को बनाए रखने की बाध्यता किसी भी तरह से सदस्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करती है। संघ के मूल मूल्यों प्रतिष्ठा और कानूनी शिक्षा की सामग्री को बढ़ाने के लिए करना है. विधिक शिक्षा की समाज के विकास और समाज के सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

74. इस न्यायालय के पास 2012 के ट्रांसफर केस (सिविल) संख्या 98, क्रिश्चियन चिकित्सा महाविद्यालय वेल्लोर संगठन बनाम भारत संघ और अन्य में चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को चुनौती देने पर विचार करने का अवसर था। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 55 में निम्नलिखित शब्दों में एक प्रासंगिक टिप्पणी की गई है: -

> "55... राष्ट्र का निर्माण शिक्षा का मुख्य पहलू है, जिसे अनदेखा और अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्हें पहले राष्ट्रीय हित को पूरा करना होगा, फिर उनके हित को पूरा करना होगा, खासकर जब मान्यता के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, खासकर पेशेवर शिक्षा के मामले में।

75. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करना एक राष्ट्रीय हित है। एनईईटी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जो देखा गया वह सीएलएटी पर भी समान रूप से लागू होता है। सभी विधि विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा आयोजित करना राष्ट्रीय हित के साथ-साथ शिक्षा के हित में भी है। हमने पहले ही देखा है कि यह एक छात्र "वरुण भगत" की एक रिट याचिका पर था, एक सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा का विचार भारत सरकार, विधि विश्वविद्यालयों आदि और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद उभरा। काफी चर्चा, विचार-विमर्श के साथ कॉमन विधि प्रवेश परीक्षा अस्तित्व में आ सका। हमने कॉमन विधि प्रवेश परीक्षा के साथ एक लंबा सफर तय किया है जिसे और मजबूत और सुव्यवस्थित किया जाना है

76. इस न्यायालय ने बार-बार समान या समान शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के समूह के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा के महत्व और उपयोगिता पर जोर दिया है। इस न्यायालय ने माना कि इस तरह की सामान्य परीक्षा पारदर्शिता और योग्यता के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करती है। **पी.ए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2005) 6 एससीसी 537** में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 136 और 138 में निम्नलिखित निर्धारित किया:

> "136..... समान या समान शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के एक समूह के लिए आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं है। एक राज्य

या एक से अधिक राज्यों में स्थित ऐसी संस्थाएं एक साथ जुड़ सकती हैं और एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकती हैं या राज्य स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से ऐसी परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसी सामान्य मेधा सूची में से सफल अभ्यथयों की पहचान की जा सकती है और उन्हें प्रस्तावित अध्ययन पाठ्यक्रमों, सीटों की संख्या, संस्था के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रकार और अन्य संगत कारकों के आधार पर विभिन्न संस्थाओं में आबंटित किए जाने के लिए चुना जा सकता है। सामान्य प्रवेश परीक्षा (संक्षेप में सीईटी) आयोजित करने वाली ऐसी एजेंसी को इस मामले में अत्यधिक विश्वसनीयता और विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। यह पारदर्शिता और योग्यता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करेगा। उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के हित में और छात्र समुदाय को उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए भी सीईटी आवश्यक है। ऐसी सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद केन्द्रीकृत परामर्श अथवा दूसरे शब्दों में दाखिलों को विनियमित करने वाली एकल खिड़की प्रणाली से अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग सीईटी में तैयार सफल उम्मीदवारों की सूची में से चुना जा सकता है, इस तरह चुने गए छात्रों के योग्यता के क्रम में बदलाव किए बिना।

138. यह विशेष रूप से कहा जाना चाहिए कि योग्यता को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और कदाचार को रोकने के लिए छात्र समुदाय के व्यापक हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, एक केंद्रीकृत और एकल खिड़की प्रक्रिया प्रदान करके प्रवेश को विनियमित करने की अनुमति होगी। इस तरह की प्रक्रिया काफी हद तक पारदर्शी आधार पर योग्यता आधारित प्रवेश प्रदान कर सकती है। जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक प्रवेश समितियां दाखिलों की निगरानी कर सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेरिट को नुकसान नहीं हो।

77. श्री अरविंद दातार, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए पेश विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 1 अभी भी संघ का सदस्य है और संघ से बाहर नहीं गया है और इसके द्वारा आयोजित एनएलएटी केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इस

शैक्षणिक वर्ष को 'शून्य वर्ष' के रूप में टालने के लिए है। वह प्रस्तुत करता है कि अगले शैक्षणिक वर्ष के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 सीएलएटी के परिणाम के आधार पर छात्रों को स्वीकार करेगा। श्री दातार ने तिमाही की अनूठी प्रणाली का उल्लेख किया है जो प्रतिवादी संख्या 1 विश्वविद्यालय में चल रही है। श्री दातार ने आगे प्रस्तुत किया है कि जब तक अंडर-ग्रेजुएट लॉ कोर्स 18.09.2020 तक शुरू नहीं किया गया था, प्रतिवादी नंबर 1 अपनी तिमाही को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा।

78. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, ट्राइमेस्टर का विवरण दिया गया है और अकादमिक परिषद की कार्यवाही दिनांक 12.12.1987 को अनुलग्नक-आर-1/2 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है जिसमें अकादमिक परिषद ने निम्नलिखित तरीके से शैक्षणिक शर्तों पर निर्णय लिया है: -

> "(बी) शैक्षणिक शर्तें:
>
> प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को न्यूनतम 70 कार्य दिवसों के साथ 3 शैक्षणिक शब्दों में विभाजित किया जाए। इस शैक्षणिक शब्द को त्रैमासिक कहा जाता है। इस प्रकार 5 वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी. कार्यक्रम में 15 त्रैमासिक होंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई से शुरू हो सकता है और शैक्षणिक शर्तें निम्नलिखित पैटर्न को अपना सकती हैं: -
>
> i) पहली तिमाही - 1 जुलाई से 30 सितंबर
> ii) दूसरी तिमाही - 1 अक्टूबर से 15 जनवरी तक
> iii) तीसरी तिमाही - 30 जनवरी से 30 अप्रैल।

79. अकादमिक परिषद के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को न्यूनतम 70 कार्य दिवसों के साथ ट्राइमेस्टर नामक तीन शैक्षणिक शब्दों में विभाजित किया गया है।

80. श्री साजन पूवैया, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने समझाया है कि तीन ट्राइमेस्टर को पूरा करने के लिए, 285 कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सभी तीन सेमेस्टर में 210 दिन पढ़ाने के लिए हैं, 36 दिन प्रत्येक

तीन महीने की अवधि में तीन रविवार, सरकारी छुट्टियों के लिए 24 दिन और मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए 15 दिन होंगे, कुल मिलाकर 285 दिन।

81. यह सच है कि प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय त्रैमासिक की एक अनूठी प्रणाली का पालन करता है, प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति तीन महीने की अवधि में 70 शिक्षण दिन होते हैं। अकादमिक परिषद के संकल्प के अनुसार पहली तिमाही 01.07.2020 को शुरू होनी थी और 30 सितंबर, 2020 तक समाप्त होनी थी। पहला सेमेस्टर शुरू करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 के लिए तीन महीने की यह अवधि उपलब्ध नहीं है। पूरा देश मार्च 2020 से महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। शैक्षणिक वर्ष में घाटा देश के सभी विश्वविद्यालयों को हो रहा है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का अकादमिक कैलेंडर कोविड-19 से बाधित रहा। किसी भी विश्श्वविद्यालय ने इस वर्ष को शून्य वर्ष घोषित नहीं किया है। 82. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी के परिणामों से अवगत होने के कारण शैक्षणिक कैलेंडर में परीक्षा पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। सत्र 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में दिनांक 29.04.2020 के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रदान किया गया है:

> **"4. सत्र 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर**
>
> कई विद्यालय बोर्डों ने अभी तक अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं पूरी नहीं की हैं। राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों में सम सेमेस्टर की परीक्षाओं में भी देरी हो रही है। स्वाभाविक रूप से, इन सभी चीजों से अगले शैक्षणिक सत्र के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रवेश प्रक्रिया में विलंब होगा। इस स्थिति से निपटने के लिए, विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अपने शैक्षणिक कैलेंडर में कुछ संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।

83. यूजीसी के दिशानिर्देशों द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो दिशानिर्देश दिनांक 06.07.2020 के बाद के दिशानिर्देशों द्वारा जारी रखे गए हैं, यूजीसी को उम्मीद है कि विश्वविद्यालय सत्र 2020-21 के लिए अपने शैक्षणिक कैलेंडर में कुछ संशोधन करेंगे। विश्वविद्यालय महामारी को देखते हुए अपने अकादमिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 एक सामान्य शैक्षणिक वर्ष नहीं है

जिसमें विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षण और अन्य गतिविधियों को सामान्य मोड और तरीके से जारी रखें। प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय अकादमिक पूर्व स्नातक विधि अवधि शुरू करने के तरीकों और साधनों का बहुत अच्छी तरह से पता लगा सकता था, भले ही यह 28.09.2020 को क्लैट के संचालन के बाद अक्टूबर 2020 के मध्य में शुरू हो।

84. प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे ने अनुच्छेद 51 और 52 में अपने शैक्षणिक वर्ष को संशोधित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया है। यह देखना पर्याप्त है कि उपरोक्त संबंध में उचित निर्णय लेना प्रतिवादी नंबर 1 के लिए है

85. हम इस स्तर पर श्री दातार के एक और सबमिशन को भी देख सकते हैं। श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि अलग परीक्षा आयोजित करना एक सरासर आवश्यकता बन गई है और संघ उपनियमों का उल्लंघन करने के इरादे से नहीं। उन्होंने अपनी दलीलों को दोहराया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 को 'शून्य वर्ष' घोषित करने से बचने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक अलग परीक्षा के साथ आगे बढ़ाया।

86. हम इस सबमिशन को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं कि "आवश्यकता का सिद्धांत" चल रही महामारी की तथ्य स्थिति में लागू था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यूजीसी ने अपने दिशानिर्देशों दिनांक 29.04.2020 में पहले ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपने शैक्षणिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संपूर्ण देश में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने वाला निकाय होने और शैक्षिक वर्ष में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करने के बाद आवश्यकता संबंधी सिद्धांत का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संघ प्रतिवादी नंबर 1 के सदस्य होने के नाते "एनएलएटी" नामक एक अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और न ही शैक्षणिक वर्ष 2020-21 को "शून्य-वर्ष" घोषित करने की आवश्यकता थी, भले ही पाठ्यक्रम अक्टूबर, 2020 के मध्य में शुरू हो।

<u>प्रश्न संख्या 4</u>

<u>क्या 03.09.2020 की अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड परीक्षा, पारदर्शिता की कमी है, निष्पक्ष परीक्षा की अवधारणा के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है?</u>

87. प्रवेश सूचना दिनांक 03.09.2020 के संबंध में, प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय ने 04.09.2020 को एनएलएसआईयू प्रवेश 2020 प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 03.09.2020 के सूचना के क्लॉज 4.4.2 में प्रावधान है कि परीक्षा 12.09.2020 को आयोजित होने वाली एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी, उम्मीदवार अपने संबंधित स्थानों पर कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करके परीक्षा का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 4.4.2 इस प्रकार है:

> - "4.4.2. जिन उम्मीदवारों ने वैध आवेदन पत्र जमा किया है, उन्हें एनएलएटी के लिए उपस्थित होना होगा। परीक्षा 12.09.2020 को आयोजित होने वाली एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। उम्मीदवार अपने संबंधित स्थानों पर कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करके इस परीक्षा का प्रयास करेंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वीडियो और ऑडियो इनपुट सहित प्रदान किए गए विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार कंप्यूटर उपकरण का उपयोग करके उचित तिथि और समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। एनएलएसआईयू परीक्षाओं के दौरान किसी भी संयोजकता मुद्दों या इंटरनेट कनेक्शन की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। एनएलएसआईयू कदाचार या परीक्षा कदाचार के आधार पर किसी भी उम्मीदवार की परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

88. विश्वविद्यालय द्वारा एनएलएटी 2020 के लिए तकनीकी/प्रणाली आवश्यकता के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अन्य आवश्यकताओं के साथ निम्नलिखित प्रदान किया गया था:

> "**1. समर्थित उपकरण:** केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर (फोन सहित टैबलेट और अन्य मोबाइल उपकरणों का उपयोग एनएलएटी 2020 में समर्थित नहीं होगा और न ही अनुमति दी जाएगी।

2. **ऑपरेटिंग प्रणाली**: विंडो 7 या इसके बाद के संस्करण (विंडोज 10 अनुशंसित) (परीक्षा प्रणाली किसी अन्य ऑपरेटिंग प्रणाली, जैसे मैक ओएस, लिनक्स, आदि पर नहीं चलेगी)

3. **न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन**: प्रोसेसर: कोर 2 डुओ और ऊपर; प्रोसेसर की गति: 1.5 गीगाहर्ट्ज़ और ऊपर; रैम: न्यूनतम 1 जीबी।

4. **ब्राउज़र:** केवल गूगल क्रोम (84.0.4147.135 या बाद के संस्करण)। गूगल क्रोम का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

5. आवश्यक अनुप्रयोग स्थापित करने के लिए उपयोगकर्ता खाते में व्यवस्थापक विशेषाधिकार होने चाहिए.

6. वेब ब्राउजर पर पॉप-अप ब्लॉकर्स को अक्षम करना होगा।

7. जावा स्क्रिप्ट सक्षम होना चाहिए।

8. एंटीवायरस अक्षम होना चाहिए।

9. **न्यूनतम इंटरनेट बैंडविड्थ**: 1 एमबीपीएस न्यूनतम; रिमोट प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर ऑडियो और वीडियो सहित परीक्षा डेटा को सीधे क्लाउड पर स्ट्रीम करता है, जैसे ही आप एनएलएटी 2020 लेते हैं। परीक्षा डेटा के निरंतर हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए, निर्दिष्ट न्यूनतम कनेक्शन गति को हर समय बनाए रखा जाना चाहिए ..."

89. सूचना दिनांक 03.09.2020 के अनुसरण में, 24,603 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और केवल 23,225 परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। क्लैट 2020 के लिए 69,000 से अधिक छात्रों ने पूर्व स्नातक विधि अवधि के लिए पंजीकरण कराया है।

90. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चुनौती का पहला चरण प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अधिसूचित गृह प्रॉक्टर्ड टेस्ट है, यह प्रस्तुत किया कि होम प्रॉक्टर्ड टेस्ट निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षण की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है जो एक प्रमुख विधि विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित था। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 2, प्रो (डॉ) सुधीर कृष्णास्वामी के हलफनामे पर भरोसा करते हैं, जो उन्होंने 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4848, वी. गोविंदा रामनन बनाम राष्टीय विधि विश्वविद्यालय संघ और अन्य दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया। संघ के सचिव के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 ने 25.08.2020

को दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि विश्वविद्यालय नेशनल के संघ की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया। उक्त रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे अपने घर से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन केंद्र आधारित परीक्षा आयोजित करना कानूनी है। होम बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए, प्रतिवादी नंबर 2 ने हलफनामे के अनुच्छेद 17 और 18 में निम्नलिखित बयान दिया: -

> "17. यह प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 78,000 छात्रों के लिए एक घर आधारित ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं होगी क्योंकि परीक्षा पूरी तरह से समझौता किया जाएगा और प्रतिभागियों या कोचिंग सेंटरों द्वारा भी हेरफेर किया जा सकता है।
>
> 18. प्रतिवादी नंबर 1 ने कई बैठकों में याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए मोड सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से क्लैट -2020 आयोजित करने की व्यवहार्यता पर चर्चा और मूल्यांकन किया है। उचित विचार के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्धारित किया है कि तकनीकी उपायों के साथ घर पर एक ऑनलाइन परीक्षा पारदर्शिता, निष्पक्षता और क्लैट जैसी उच्च दांव परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित नहीं कर सकती है।

91. प्रतिवादी नंबर 2 ने क्लैट की ओर से स्पष्ट रूप से स्टैंड लिया था कि तकनीकी उपायों के साथ घर पर ऑनलाइन परीक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सकती है और परीक्षण पूरी तरह से समझौता किया जाएगा और यहां तक कि प्रतिभागियों और कोचिंग सेंटरों द्वारा भी हेरफेर किया जा सकता है। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा एक सप्ताह के भीतर मन बदलने का कोई कारण नहीं था। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा 25.08.2020 को शपथ पत्र लिया गया था और 03.09.2020 को एक सप्ताह के बाद, एनएलएटी आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें प्रतिभागियों को अपने घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। जब किसी चीज की अनुमति नहीं दी जानी थी, जब क्लैट-2020 के लिए घर आधारित ऑनलाइन परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, तो एनएलएटी-2020 के लिए भी उसी परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

92. इस प्रकार हम याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण में सार पाते हैं कि घर आधारित ऑनलाइन परीक्षा की अनुमति देने से परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित नहीं हो सकती थी, खासकर जब परीक्षा देश के एक प्रमुख विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित की जानी थी।

93. हम इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के एक और सबमिशन पर ध्यान दे सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि आवेदन करने के लिए सूचना की एक छोटी अवधि के कारण और तकनीकी आवश्यकता के कारण, बड़ी संख्या में छात्र विशेष रूप से समाज के हाशिए वाले वर्गों से संबंधित एनएलएटी द्वारा अनुमत समय के भीतर आवेदन करने में असमर्थ थे। जैसा कि ऊपर देखा गया है, एनएलएटी द्वारा परिकल्पित तकनीकी सहायता को पूरा करने की आवश्यकता को बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

94. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अनुबंध-आर-1/10 के रूप में अपने जवाबी हलफनामे के साथ अभिलेख पर लाई गई दिनांक 06.08.2020 की संकाय बैठक की कार्यवाही में, यह उल्लेख किया गया है कि "एनएसएलआईयू 60 प्रतिशत से अधिक क्लैट आवेदकों के लिए पहली प्राथमिकता है"। क्लैट-2020 के लिए लगभग 69,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। 69,000 का 60 प्रतिशत 41,400 पर आता है। एनएलएटी में पंजीकरण केवल 24,603 है, जिनमें से केवल 23,225 ही उपस्थित हो सके, यह स्पष्ट करता है कि बड़ी संख्या में छात्र जो प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते थे, वे समय की कमी और प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय द्वारा जोर दी गई तकनीकी आवश्यकता के कारण आवेदन भी नहीं कर सके। उपरोक्त आंकड़े याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से समाज के हाशिए वाले वर्गों से संबंधित है, उन्हें परीक्षा में बैठने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

95. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एनएलएटी-2020-21 के लिए प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित गृह आधारित ऑनलाइन परीक्षा को एक ऐसी परीक्षा के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता है जो परीक्षा की पारदर्शिता और अखंडता को बनाए रखने में सक्षम थी। विश्वविद्यालय द्वारा जोर दिए गए अल्प सूचना

और तकनीकी आवश्यकताओं ने बड़ी संख्या में छात्रों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए परीक्षा में भाग लेने से वंचित कर दिया।

<u>प्रश्न संख्या 5</u>

क्या 12.09.2020 को आयोजित एनएलएटी 14.09.2020 को पुन: परीक्षा के साथ कदाचार से प्रभावित था और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

96. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि 12.09.2020 को आयोजित परीक्षा के साथ-साथ 14.09.2020 को आयोजित पुन: परीक्षा में कई कदाचार हुए, जिससे साबित हुआ कि याचिकाकर्ता की आशंकाएं सही थीं

97. श्री गुप्ता ने प्रॉक्टरिंग प्रोटोकॉल में विभिन्न कमियों पर प्रकाश डाला। श्री गुप्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 14.09.2020 की प्रेस विज्ञप्ति का भी उल्लेख किया है, जहां प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ उम्मीदवारों ने प्रश्नों की प्रतिलिपि बनाई है और लॉग इन करने के बाद इसे कुछ मैसेजिंग ऐप और ईमेल पर प्रसारित किया है। श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त तथ्य को सूचना करने के बाद भी प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि "हालांकि यह एनएलएटी प्रॉक्टरिंग दिशानिर्देशों के तहत एक कदाचार है, यह परीक्षा की अखंडता को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि लॉग इन करने के बाद सभी उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पहले से ही उपलब्ध थे।

98. श्री गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि उम्मीदवार मैसेजिंग ऐप और ईमेल के माध्यम से प्रश्न भेजने में सक्षम हैं, तो जाहिर है कि वे उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, श्री गुप्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 15.09.2020 की प्रेस विज्ञप्ति का उल्लेख किया है, जिसमें विश्वविद्यालय ने कहा है कि "परीक्षा कदाचार के कुछ मामले आपराधिक जांच के योग्य हैं और विश्वविद्यालय ने पहले ही कुछ अभिनेताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की हैं"।

99. श्री अरविंद दातार ने उपरोक्त सबमिशन का दृढ़ता से खंडन किया है और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर सुर-पतिउत्तर हलफनामे का उल्लेख किया है जहां एनएलएसआईयू द्वारा एनएलएटी 2020 के लिए किए गए तकनीकी उपायों का विवरण समझाया गया है।

100. यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापक तकनीकी और अन्य उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है कि किसी भी प्रकार के कदाचार का प्रयास करने वाला कोई भी उम्मीदवार परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद परीक्षा के बाद या परीक्षा के बाद की प्रक्रिया से पकड़ा और अयोग्य घोषित किया जाता है।

101. श्री दातार प्रस्तुत करते हैं कि एनएलएटी 2020 ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव प्रॉक्टरिंग के संयोजन का उपयोग किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षा के बाद उपलब्ध मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रॉक्टरिंग उपायों को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट और परीक्षा से संबंधित डेटा का मूल्यांकन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रमुख ऑडिट फर्म नियुक्त की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए देखभाल और सावधानी बरती गई थी और कुछ मीडिया प्रतिवेदनों और प्रतिवेदन पर लाई गई कुछ सामग्रियों के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि परीक्षा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में कदाचार से प्रभावित है।

102. पक्षकारों के लिए विद्वान वकील के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के लिए, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह याचिकाकर्ताओं और रिपोर्टों द्वारा संदर्भित विभिन्न सामग्रियों में प्रवेश करे और यह तय करे कि परीक्षा में वास्तव में कदाचार अपनाए गए थे या नहीं। प्रतिवादी नंबर 1 प्रमुख विश्वविद्यालय होने के नाते, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा में किसी भी कदाचार और धोखाधड़ी से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती गई होगी।

103. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विश्वविद्यालय ने साइबर अपराध की शिकायत भी दर्ज की है जिसकी कानून के अनुसार जांच की जा सकती है। हमें 12.09.2020 और 14.09.2020 को किए गए परीक्षण में कदाचार के पहलू के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत इस कार्यवाही में कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, जो अनिवार्य रूप से तथ्यों और सबूतों की जांच का विषय है।

104. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी दिनांक 03.09.2020 की प्रवेश अधिसूचना कानून के अनुसार नहीं थी और इसे रद्द करने योग्य है।

105. क्लैट परीक्षा पहले से ही 28.09.2020 के लिए निर्धारित है, जिसे छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद उक्त तिथि को आयोजित करने की आवश्यकता है।

106. हम आगे देखते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 03.09.2020 को अधिसूचना जारी करने के बाद, संघ ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के शासी निकाय की बैठक 05.09.2019 को आयोजित की गई थी, जहां 28.09.2020 को क्लैट 2020 आयोजित करने का निर्णय दोहराया गया था। शासी निकाय ने तत्काल प्रभाव से संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 के कार्यों को विभाजित करने का संकल्प लिया और अंतरिम अवधि में संघ के सभी प्रशासनिक और सचिवीय कार्यों का निर्वहन करने के लिए संघ के वरिष्ठतम सदस्य और पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को नियुक्त किया। शासी निकाय ने संघ के सचिवालय को नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद में स्थानांतरित करने का भी संकल्प लिया।

107. हमने पाया है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी दिनांक 03.09.2020 का अलग प्रवेश सूचना अस्थिर है। हमारा विचार है कि 05.09.2020 को यथास्थिति को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए यानी प्रतिवादी नंबर 2 को संघ के सचिव के रूप में बहाल करने के साथ-साथ संघ के सचिवालय को एनएलएसआईयू, बेंगलुरु को बहाल किया जाना चाहिए। शासी निकाय यह ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है कि 28.09.2020 को निर्धारित क्लैट परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो । प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को 28.09.2020 को आयोजित होने वाले क्लैट के आयोजन में भी सहयोग करना है।

108. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित तरीके से रिट याचिका की अनुमति देते हैं: -

(I) पांच वर्षीय एकीकृत बीएएलएलबी (स्नातक) कार्यक्रम 2020-21 दिनांक 03.09.2020 अनुलग्नक-पी 14 में प्रवेश के लिए सूचना के साथ-साथ एनएलएसआईयू प्रवेश 2020-21 दिनांक 04.09.2020 अनुबंध-पी 15 पर प्रेस विज्ञप्ति रद्द की जाती है।

(II) प्रतिवादी नंबर 3 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच.एफ.डब्लू) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम। एच.आर.डी) की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) का पालन करने के बाद छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल और सभी सावधानी बरतते हुए 28.09.2020 को क्लैट-2020 परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

(III) प्रतिवादी नंबर 3 यह भी सुनिश्चित करेगा कि परिणाम की घोषणा की पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि प्रतिवादी नंबर 1 और अन्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अक्टूबर-2020 के मध्य तक अपना पाठ्यक्रम शुरू कर सकें।

(IV) प्रतिवादी नंबर 1 को क्लैट-2020 के परिणाम के आधार पर बीएएलएलबी (स्नातक) कार्यक्रम 2020-21 में प्रवेश भी पूरा करना होगा।

(V) प्रतिवादी नंबर 3 संघ के सचिव-कोषाध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 की स्थिति को बहाल करने के साथ-साथ एनएलएसआईयू के रूप में संघ के सचिवालय को बहाल करने के लिए जल्द से जल्द निर्णय ले सकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि 28.09.2020 को क्लैट -2020 की निर्धारित परीक्षा किसी भी तरह से बाधित नहीं है।

109. 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1030 में पारित हमारे उपरोक्त आदेश के मद्देनजर, 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 11059 में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

एसएलपी का निस्तारण किया जाता है।

दिव्या पांडे मामले निपटाए गए

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।